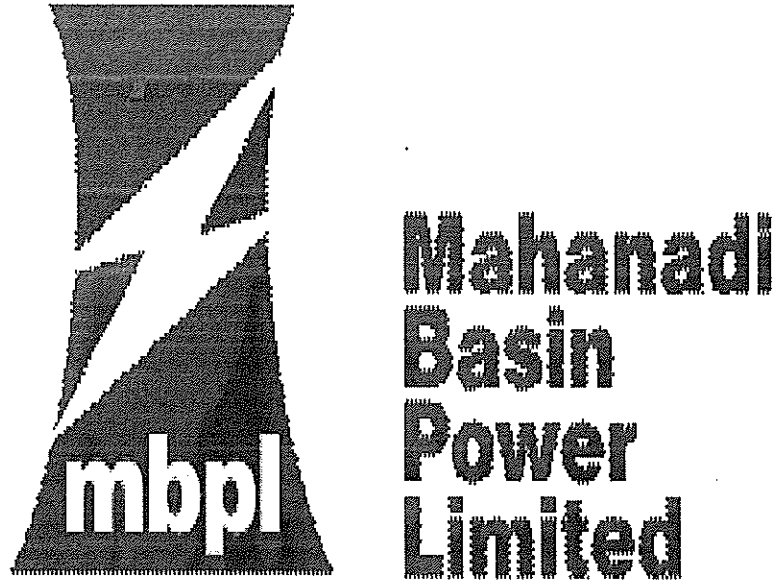


वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2022-23



महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

(एमसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या जी-3, गड़कना, चंद्रशेखरपुर,

भुवनेश्वर - 751017 (ओडिशा)

दृष्टि

"देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में बाधाओं को अवसरों में बदलने वाले परिवेश के साथ सतत विकास हेतु"

'लक्ष्य'

"नवोन्मेषी और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विश्वसनीय ऊर्जा उत्पन्न करना तथा समाज के विकास में योगदान देना"

विषय सूची:

<u>क्रमांक.</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या.</u>
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा परीक्षकगण	1
2.	सूचना	2-3
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	4-12
4.	लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट और प्रबंधन का जवाब	13-25
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	26
6.	31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन पत्र	27-28
7.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरणी	29-30
8.	नगद प्रवाह विवरणी	31-32
9.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	33
10.	तुलन पत्र तथा लाभ-हानि विवरणी के टिप्पणियों का भाग	34-93

कंपनी की सूचना

निदेशक मंडल

नाम	पदनाम	से जारी
श्री केशव राव (डीआईएन: 08651284)	अध्यक्ष	10/01/2020
श्री के. एस. सिंह (डीआईएन: 09595085)	निदेशक	24/08/2022
श्री जी. महापात्र (डीआईएन: 10125609)	निदेशक	10/03/2023
श्री ए. के. पांडे (डीआईएन: 10152192)	निदेशक	01/03/2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री एस.के. भूयां

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सूरु कोटनी & एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
भुवनेश्वर, ओडिशा

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, संबलपुर

पंजीकृत कार्यालय:

प्लॉट संख्या जी-3, गड़कना, चंद्रशेखरपुर,
भुवनेश्वर - 751017 (ओडिशा)

सूचना

12 वीं वार्षिक आम बैठक

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार 21 जुलाई, 2023 को अपराह्न 12:10 बजे एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा – 768020 में निम्नलिखित व्यवसाय के संचालन के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षित लेखा, लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करने, उन पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने हेतु।
2. श्री ए. के. सिंह, निदेशक (डीआईएन 08667576) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।
3. श्री अनवर हुसैन, निदेशक (डीआईएन 08407634) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

ह/-

(केशव राव)

अध्यक्ष, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

स्थान: सम्बलपुर

दिनांक: 20.07.2023

पंजीकृत कार्यालय :

प्लॉट संख्या – जी - 3, मंचेस्वर रेलवे, कॉलोनी भुवनेश्वर – 751017

टिप्पणी :

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रमाणित प्रति भेजें।

2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो, तो वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक को अल्पावधि के सूचना पर बुलाने हेतु अपनी सहमति दें।

सदस्यगण :

- 1) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020
- 2) श्री बी. एन शुक्ला, सीएमडी, एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020
- 3) श्री केशव राय, अध्यक्ष, एमबीपीएल/ निदेशक (कार्मिक) जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020
- 4) श्री ओ. पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी/संचालन), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020
- 5) श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020
- 6) श्री पी. स्वर्णकार, महाप्रबंधक (वित्त), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020
- 7) श्री के. के. राउल, महाप्रबंधक (एल एंड आर), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020.

समस्त निदेशकगण, एमबीपीएल

लेखा परीक्षकगण :

मेसर्स सूरू कोटनी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, संवैधानिक लेखा परीक्षक, भुवनेश्वर

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारक,
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

सज्जनों,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

आपकी कंपनी महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एक एसपीवी) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसपीवी का निगमन दिनांक 02.12.2011 को महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के रूप में हुआ है जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या - जी-3 गड़कना, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर -751017 (ओडिशा) में है और आरओसी, कटक द्वारा दिनांक 06.02.2012 को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया।

कंपनी सुंदरगढ़ जिले के 2X800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना को प्रचालित, विकसित और अनुरक्षित करने के लिए एमसीएल की ओर से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। यह प्रस्तावित परियोजना ईपीसी के आधार पर निष्पादित होगी।

वित्तीय कार्य-निष्पादन :

विवरण	2022-23 (रु. लाख में)	2020-21 (रु. लाख में)
वर्ष के लिये आय	0	0
मूल्यहास और परिशोधन व्यय के अलावा वर्ष के लिए व्यय	2.56	2.21
मूल्यहास और परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ एवं हानि	(2.56)	(2.21)
कम : मूल्यहास और परिशोधन व्यय	0.22	0.22
मूल्यहास और परिशोधन व्यय के पश्चात लाभ एवं हानि, लेकिन कर से पहले।	(2.78)	(2.34)
वियोग : वर्तमान कर	0	0
कर के पश्चात लाभ एवं हानि	(2.78)	(2.34)

कंपनी निर्माण चरण में है एवं परिचालन गतिविधियाँ अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, इसलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजना के कारण कंपनी द्वारा किए गए सभी प्रत्यक्ष व्ययों को पूंजीकृत किया गया एवं अन्य अप्रत्यक्ष व्यय को "लाभ एवं हानि विवरण" में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से रु. 2978.32 लाख असुरक्षित दीर्घकालीन ऋण लिया है।

कंपनी के वित्तीय विवरण आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 के

प्रासंगिक प्रावधान, जैसा लागू हो के तहत और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करने हेतु तैयार किए गए हैं। यदि शुरू में अपनाया गया या मौजूदा मानक लेखांकन के संशोधन के लिए लेखांकन नीति के अब तक के उपयोग में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो जारी किए गए नए लेखांकन मानक को छोड़कर लेखांकन नीतियों को सतत लागू किया गया है। प्रबंधन ने सभी हाल ही में जारी या संशोधित लेखा मानकों का मूल्यांकन निरंतर आधार पर किया। कंपनी ने तिमाही और वार्षिक आधार पर स्टैंडअलोन लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का खुलासा किया है।

लाभांश :-

वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार का लाभांश घोषित नहीं किया है।

रिजर्व :-

कंपनी ने किसी भी राशि को रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया।

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एसपीवी) की भूमिका इस प्रकार है :

क. साइट की पहचान।

ख. भूमि का अधिग्रहण।

ग. जल लिकेज, ईंधन लिकेज आदि प्राप्त करना।

घ. विभिन्न तकनीकी अध्ययन का आयोजन करना और परियोजना सूचना रिपोर्ट तैयार करना।

ङ. सभी सांविधिक अर्थात् पर्यावरणीय, वन, रक्षा, विमानन आदि मंजूरीयां प्राप्त करना।

च. एमसीएल/एमबीपीएल के बिजली संयंत्र के लिए विनिर्देश तैयार करने हेतु सेवा प्रदान करने के लिए परामर्शदाता और मालिक इंजीनियर का चयन, खुली निविदा के माध्यम से उपयुक्त ईपीसी ठेकेदार का चयन, पूर्व अनुबंध सेवा, पोस्ट अनुबंध सेवा, परियोजना निगरानी सेवा, संयंत्र अधिग्रहण सेवा, ओ एंड एम दस्तावेजों की समीक्षा, उप-निरीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षण सेवा और साइट इंजीनियरों की पोस्टिंग और पावर प्लांट के लिए आवश्यक कोई अन्य छोड़ी गई नौकरियां हेतु।

कंपनी की गतिविधियां - वर्तमान स्थिति :

भूमि :

एमसीएल द्वारा कोयला धारित क्षेत्र अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कोयला मंत्रालय ने एमबीपीएल के प्रस्तावित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के प्रयोजन के लिए टिकलीपारा, सरडेगा और गोपालपुर गांव के हिस्से में एमसीएल द्वारा अधिग्रहित 858.60 एकड़ भूमि को 50 वर्ष की अवधि के लिए एमबीपीएल को पट्टे पर देने के लिए दिनांक 12.07.2016 को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है। :

- i) यह पट्टा उपरोक्त भूमि के लिए एमबीपीएल को अधिकार नहीं देगा, न ही इसे एमबीपीएल को विमुख करने का या अपनी इच्छा से उसका निपटान करने का हक देगा, इसलिए, एमबीपीएल ऐसे किसी बाधा का सृजन नहीं करेगा जो भूमि के अलगाव या निपटान के समान हो।
- ii) इस पट्टे के किसी भी पहलू से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या विवाद के मामले में, इसे एमसीएल को संदर्भित किया जाएगा।
- iii) इस मामले में उसका निर्णय एमबीपीएल के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

यह अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि एमबीपीएल कंपनी अधिनियम में पारिभाषित रूप में एक सरकारी कंपनी बनी रहेगी, एमबीपीएल के 'गैर-सरकारी कंपनी' बनने पर अनुमति समाप्त हो जाएगी। इस आशय का एक खंड पट्टा-अनुबंध में दर्ज किया जाएगा।

भूमि पट्टे के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन प्रस्ताव एमसीएल को प्रस्तुत किया गया। एमसीएल मुख्यालय में एक समिति के माध्यम से पट्टा समझौता की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

वन भूमि परिवर्तन :

वन भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव पीसीसीएफ कार्यालय को दिनांक 22.04.2013 को प्रस्तुत किया गया। एमबीपीएल द्वारा राज्य एसआई संख्या 595/13 दिनांक 7.06.2013 को प्राप्त हुआ। मेसर्स पीएफसीसी लिमिटेड द्वारा वन भूमि का 100% सीमांकन किया गया है। वृक्षां की गणना का कार्य मेसर्स पीएफसीसी लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया है। गोपालपुर, सरडेगा और टिकलीपारा गांवों में पल्ली सभा आयोजित करने के लिए कलेक्टर, सुंदरगढ़ को पत्र दिया गया। पिलर-पोस्टिंग का कार्य पूरा हो गया है। सर्वेक्षण प्रमाणन के लिए ओआरएसएसी, नोडल एजेंसी, ने डीजीपीएस का कार्य सर्वेक्षण पूरा किया और ओआरएसएसी द्वारा दिनांक 30.09.2019 को डीजीपीएस नक्शा प्रस्तुत किया गया। वन भूमि डायवर्जन हेतु चरण-I के लिए आवेदन वेबसाइट में अपलोड करने की आवश्यकता है।

आईपीआईसीओएल से सिंगल विंडो क्लीयरेंस :

आईपीआईसीओएल को दिसंबर 2011 में आवेदन जमा कर दिया गया है। आईपीआईसीओएल ने सलाह दी है कि आवेदन ओडिशा सरकार (ओ.स.) के माध्यम से जमा किया जाना है। ओडिशा सरकार ने अप्रैल 2012 में आईपीआईसीओएल को आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया। आवेदन अंततः मई 2012 में आईपीआईसीओएल को प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 19.02.2013 को "फॉर्म जे" के साथ 50 क्यूसेक जल के आवंटन के लिए आवश्यक प्रसंस्करण शुल्क रुपये 1,000/- की राशि और सुरक्षा जमा राशि रु.75,00,000/- जल संसाधन विभाग को भुगतान किया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा हीराकुड बाँध से 50 क्यूसेक जल आवंटन की अनुशंसा की है। ओडिशा सरकार के राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस उच्च स्तरीय क्लीयरेंस अथॉरिटी (एचएलसीए) ने दिनांक 29/09/2015 को आयोजित अपनी 16वीं बैठक में 'सैद्धांतिक रूप से' परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ओडिशा सरकार के जल आवंटन समिति ने दिनांक 25.02.2015 को आयोजित अपनी 61 वीं बैठक में दिनांक 24.11.2015 को प्रधान सचिव (जल संसाधन विभाग) को हीराकुड जलाशय से एमबीपीएल के प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लिए 49 क्यूसेक जल के आवंटन हेतु सिफारिश की। आईपीआईसीओएल ने एमबीपीएल, एमसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के 2 X 800 मेगावाट की विद्युत परियोजना के अनुमोदन की पुष्टि को जिससे राज्य सरकार को पूरी लागत पर विद्युत का 50% मिलेगा, दर्शाते हुए दिनांक 13.01.2016 को आयोजित एसएलएसडबल्यूसीए के 59 वीं बैठक की कार्यवाही को सूचित किया

पर्यावरणीय अनुमति :

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीडी), ओडिशा को जन सुनवाई आयोजित करने के लिए दिनांक 14.02.2013 को अपेक्षित शुल्क के साथ रैपिड ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबंधित जिला एवं पंचायत प्राधिकारियों के सहयोग से ग्राम टिकिलीपाड़ा, सुंदरगढ़ जिले के जगन्नाथ मंदिर में जनसुनवाई बैठक दिनांक 27.11.2013 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। सभी दस्तावेज पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सौंपे गए। (i) कोल लिंकेज, (ii) वाटर लिंकेज और (iii) फ्लाइंग ऐश उपयोग योजना मिलने के बाद एमबीपीएल मामले की सुनवाई होगी। सदस्य सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से दिनांक 08.10.2017 को फर्म कोल लिंकेज और जल

आवंटन की प्राप्ति के पश्चात इसी के अनुदान के लिए विचार हेतु आगामी ईएसी में सुनवाई के लिए परियोजना को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया है।

ईंधन लिंकेज :

एमसीएल ने विद्युत परियोजना हेतु कोयले के लिंकेज आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय को 23 नवंबर, 2011 को अनुरोध किया। एमसीएल ने पुनः दिनांक 14 मई, 2012 और 22.09.2012 को अनुरोध किया। एसएलसी (कोयला मंत्रालय) कोयला मंत्रालय के विशेष छूट मार्ग के माध्यम से प्रस्तावित एसटीपीपी के लिए 9.0 एमटीपीई के कोयला आवंटन हेतु सिफारिश की है एवं सभी औपचारिकताओं के अवलोकन के बाद कोयला लिंकेज आवंटन के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। एमसीएल ने दिनांक 03.04.2015 को कोयला लिंकेज को जारी करने हेतु पुष्टि पत्र के लिए कोयला मंत्रालय के अपर सचिव से अनुरोध किया है। वांछित रूप में, कोयला लिंकेज के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को नया आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सीईए टीम ने दिनांक 01.11.2015 को एमबीपीएल की साइट परियोजना का दौरा किया। सीईए द्वारा वांछित के रूप में, दस्तावेजों सहित अपेक्षित जानकारी सीईए को दिनांक 04.02.2016 को प्रस्तुत की गई थी। सीईए ने दिनांक 11.03.2016 को कोयला लिंकेज पर विचार करने के लिए विद्युत मंत्रालय को मामले की सिफारिश की है। जांच के बाद, विद्युत मंत्रालय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा जिसे 13.05.2016 को प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार द्वारा नई कोयला लिंकेज नीति को अपनाए जाने के पश्चात, मुख्य विद्युत प्राधिकारी (सीईए), नई दिल्ली की सलाह पर दिनांक 27.05.2017 को सीईए के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को नया आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

स्थायी लिंकेज समिति (एसएलसी), कोयला मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2017 की अपनी बैठक में एमसीएल के एमबीपीएल को पत्र संख्या: 23014/3/2017-CLD दिनांक 17/07/2017 के माध्यम से कोयला लिंकेज जारी करने के लिए सीआईएल को अनुशंसा की है। दिनांक 25.08.2017 की सीएलओ बैठक के दौरान एसएलसी की सिफारिश के अनुसार कोल इंडिया द्वारा फर्म कोयला आवंटन दिया गया है। सीएलओ ने सिफारिश दी है कि आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकताओं को देखने के बाद एमसीएल के एमबीपीएल के संयंत्र को एलओए जारी किया जा सके।

कोयला परिवहन अध्ययन :

प्राथमिक जांच के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट जून, 2012 में एमसीएल को प्रस्तुत की गई। कोयले का परिवहन लगभग 8-10 किलोमीटर के पाइप कन्वेयर के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

सिविल विमानन (चिमनी की ऊंचाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र) :

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हार्डट क्लीयरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया तथा उसे दिनांक 30.05.2016 को जारी किया गया।

रक्षा (चिमनी ऊंचाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र) :

रक्षा मंत्रालय से हार्डट क्लीयरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया तथा उसे दिनांक 12.06.2017 को जारी किया गया।

संयुक्त उद्यम स्थिति :

बिजली उत्पादन के लिए एमसीएल/सीआईएल और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम समिति बनाने हेतु दिनांक 12.08.2016 को विशेष सचिव, एमओसी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी क्योंकि एमसीएल को बिजली व्यवसाय में कोई विशेषज्ञता नहीं है।

एमबीपीएल बोर्ड ने दिनांक 10.11.2016 को आयोजित अपनी 25वीं बैठक में, में संयुक्त उद्यम मोड को अपनाने और इक्विटी पूंजी के पुनर्गठन के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' सहमति व्यक्त की और अनुमोदन के लिए इसे एमसीएल बोर्ड और सीआईएल बोर्ड के समक्ष रखने हेतु सिफारिश की।

एमसीएल बोर्ड ने दिनांक 10.06.2017 को आयोजित अपनी 192वीं बैठक में एनटीपीसी के साथ संयुक्त उद्यम मोड को अपनाने और एमबीपीएल में इक्विटी पूंजी के पुनर्गठन के लिए आगे विचार-विमर्श और अनुमोदन के लिए सीआईएल को प्रस्ताव की सिफारिश करने पर सहमति व्यक्त की।

तदनुसार, सीएमडी, एमसीएल द्वारा विधिवत सहमत होने पर प्रस्ताव को महाप्रबंधक(पीएमडी), सीआईएल, के अनुमोदन के लिए दिनांक 24.08.2017 को भेज दिया गया है। सीआईएल द्वारा यथावांछित जानकारी दिनांक 04.10.2017 को प्रस्तुत की गई है। सीआईएल संयुक्त उद्यम के गठन के लिए एनटीपीसी की नई सहमति प्राप्त करना चाहता है। एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम के गठन से पहले कुछ आवश्यक शर्तें रखी हैं। एमबीपीएल अपने द्वारा पहले से प्राप्त मंजूरी पर उन शर्तों के निहितार्थ को देख रहा है। इस बीच, सरकार की नीतियों में कुछ बदलाव हुए। चूंकि ओडिशा एक बहुतायत बिजली वाला राज्य है, ओडिशा सरकार एमबीपीएल से बिजली खरीदने के लिए अनिच्छुक था, इससे अक्षय ऊर्जा पर थर्मल पावर से भी अधिक प्रभाव पड़ता है।

एमबीपीएल बोर्ड ने दिनांक 21.09.2020 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में सीपीपी-स्मेल्टर स्थापित करने और इक्विटी पूंजी के पुनर्गठन के लिए नाल्को के साथ संयुक्त उद्यम मोड अपनाने हेतु 'सैद्धांतिक रूप से' सहमति व्यक्त की और इसे एमसीएल बोर्ड और सीआईएल बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखने की सिफारिश की।

एमसीएल बोर्ड ने दिनांक 26.12.2020 को आयोजित अपनी 228वीं बैठक में क्रमशः 74:26 के अनुपात में नाममात्र चुकता पूंजी के साथ एमसीएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम को अपनाने के लिए आगे विचार-विमर्श और अनुमोदन हेतु सीआईएल को प्रस्ताव की सिफारिश करने पर सहमति व्यक्त की।

सीआईएल बोर्ड ने दिनांक 18.02.2021 को प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसे दिनांक 27.01.2021 को कोयला मंत्रालय को भेज दिया। सीआईएल ने विविधीकरण और मूल्यवर्धन के लिए परामर्श और कार्यक्रम प्रबंधन प्रदान करने के लिए मैसर्स डेलॉइट टॉच तोहमात्सु इंडिया को भी नियुक्त किया।

नीति आयोग ने दिनांक 21.02.2021 को नाल्को के साथ संयुक्त उद्यम में एमसीएल के एसपीवी के गठन को मंजूरी दी।

अनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनी -

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और जिसकी कोई सहायक /संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

सावधि जमा :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।

जोखिम प्रबंधन :

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारंपरिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए जाते हैं। भूमि का अधिग्रहण, वन मंजूरी और पर्यावरणीय समस्याएं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी प्रबंधन द्वारा लगातार निगरानी की जाती है।

सतर्कता तंत्र /व्हिसल ब्लोवर नीति :

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की गतिविधियां सी एंड एजी, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर लागू नहीं है।

पूंजी संरचना :

दिनांक 31.03.2022 को कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) पर जारी रही, जो प्रत्येक 10/- रुपये के 50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित था। दिनांक 31.03.2022 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 5,00,000 रुपये पर अपरिवर्तित है। संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

संगठनात्मक संरचना :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एसपीवी के संस्था ज्ञापन (एमओए) और संस्था के अनुच्छेद के 07 (सात) ग्राहक और एसपीवी के बोर्ड में सीएमडी, एमसीएल द्वारा नामित 04 (चार) निदेशक हैं। साथ ही, एसपीवी के बोर्ड के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में एसपीवी की दैनंदिन गतिविधियों को करने हेतु एक सीईओ को नियुक्त किया गया है।

कार्यात्मक सहायता :

कंपनी को एसपीवी की स्थापना और सुचारु कामकाज के लिए आवश्यक सभी कार्यात्मक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें एसपीवी के दैनंदिन के कामकाज के लिए आवश्यक फोन, फैक्स, कंप्यूटर, वाहन और अन्य सभी प्रशासनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित कार्यालय स्थान शामिल है। प्रशासनिक एवं कर्मचारी सहायता सहित एसपीवी के पृथक लेखा शीर्ष में दी गई लागत का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें एसपीवी में एमसीएल द्वारा इक्विटी में योगदान हेतु ब्याज का गठन किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन तथा व्यय का विवरण :

कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की गई है। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई तकनीक का अधिग्रहण नहीं किया गया है। चूंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात और आयात से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की है। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी विदेशी मुद्रा व्यय तथा विदेशी आय नहीं है।

निदेशक मण्डल :

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के निदेशक मण्डल में दिनांक 31.03.2022 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक नामित किया गया है :

नाम	पदनाम	से जारी
श्री केशव राव (डीआईएन : 08651284)	अध्यक्ष	10/01/2020
श्री के. एस. सिंह (डीआईएन : 09595085)	निदेशक	28.04.2022
श्री जी. महापात्र (डीआईएन : 10125609)	निदेशक	01/03/2023
श्री ए.के. पांडे (डीआईएन : 10152192)	निदेशक	01/03/2023

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	बैठक का स्थान
1	51 वीं बोर्ड बैठक	28.04.2022	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
2	52वीं बोर्ड बैठक	21.07.2022	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
3	53वीं बोर्ड बैठक	20.09.2022	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
4	54वीं बोर्ड बैठक	23.10.2022	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
5	55वीं बोर्ड बैठक	29.10.2022	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
6	56वीं बोर्ड बैठक	04.11.2022	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
7	57वीं बोर्ड बैठक	07.12.2022	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
8	58वीं बोर्ड बैठक	18.01.2023	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
9	59 वीं बोर्ड बैठक	02.03.2023	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर

वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड संरचना का ब्यौरा, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थितियाँ :

निदेशकों का नाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक	
		कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
श्री के.राव	गैर-अधिकारी	09	09
श्री के.एस. सिंह	गैर-अधिकारी	09	09
श्री ए. हुसैन	गैर-अधिकारी	08	08
श्री जी. महापात्र	गैर-अधिकारी	01	01
श्री ए. के. पांडे	गैर-अधिकारी	01	01

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा -186 के अंतर्गत ऋण, प्रत्याभूति या निवेश :

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण, प्रतिभूति या निवेश नहीं किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा -188 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों के साथ संविदा विवरण एवं व्यवस्था वर्ष के दौरान कंपनी का किसी भी संबंधित पार्टियों के साथ कोई भी अनुबंध या करार नहीं हुआ है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है की आपकी कंपनी के निदेशकगण द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134(3) (सी) के तहत निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है :

- क. दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के प्रस्थान संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा के मानकों (लेखों पर नोट के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
- ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण नियम सहित उसका आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही जानकारी दी जा सके।
- ग. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, निवारण हेतु कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- घ. निदेशकों ने दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खातों को गोडिंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया है;
- ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
- च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

सांविधिक लेखा परीक्षक :

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी, नई दिल्ली के द्वारा मेसर्स नायक रथ एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, भुवनेश्वर को वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षक प्रतिवेदन :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्रबंधन के जवाब, यदि कोई हो, योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अपनी रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अस्वीकार के साथ संलग्न किया गया है।

सी एंड ए.जी. टिप्पणियाँ :-

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को संलग्नित किया गया है।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) तथा कंपनी नियमावली, 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम 12 (1) के अनुसार वार्षिक रिटर्न सार (फॉर्म नंबर एमजीटी- 9) को एमसीएल के वेबसाइट के लिंक http://www.mahanadicoal.in/Financial/annual_report.php में अपलोड किया गया है।

आभार -

आपके निदेशकगण, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का उनके मूल्यवान सहायता समर्थन और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और ओडिशा की राज्य सरकार का भी उनके मूल्यवान समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक और कंपनी पंजीयक, ओडिशा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए भी उनकी प्रशंसा करते हैं।

निदेशकगण सुंदरगढ़ के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों और ओडिशा के कोयलांचल के निवासियों का भी समय-समय पर उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

परिशिष्ट :

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं:-

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 (6) (बी), जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी।

ह/-

(केशव राय)

अध्यक्ष

(डीआईएन : 08651284)

स्थान: सम्बलपुर

दिनांक: 20.07.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सदस्यगण

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट:

मत

हमने महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों को शामिल किया है (एतद्वारा "वित्तीय विवरण" के रूप में इसे संदर्भित किया जाता है)।

हमारे मत एवं पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की अपेक्षित स्थिति की सत्य और निष्पक्ष जानकारी देते हैं, और उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए इसके हानि, इक्विटी में परिवर्तन नकदी प्रवाह की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

मताधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों के तहत, हमारे प्रतिवेदन के *वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व* अनुभाग में हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा प्राप्त किए हैं, वे हमारे मताधार के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मुख्य लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

अन्य मामलों

पूँजीगत कार्य प्रगति के तहत कंपनी 2,298.84 लाख रुपये (बैलेंस शीट के लिए नोट संख्या -4) का मूल्य वहन कर रही है: वही परियोजना विकास व्यय है जो वर्ष 2011 में कंपनी की स्थापना के बाद से संचित है, अब तक कोई ठोस संपत्ति उत्पन्न नहीं हुई है इस पूँजी का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारीयां

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है जिसमें बोर्ड का रिपोर्ट तथा उसके अनुलग्नक शामिल हैं लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारीयों की संपुष्टि नहीं करती है और हम ऐसे आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करते समय उन तथ्यों पर भी, विचार करते हैं जो अन्य जानकारी यथा- वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त वे जानकारी जो भौतिक रूप से गलत पाया गया हो।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य विवरण की सामग्री यदि गलत है, तो हम उन तथ्यों की रिपोर्ट करते हैं। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) से संबंधित मामलों के निपटान हेतु कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे। इन वित्तीय विवरणों (भारतीय लेखांकन मानक) की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण में, जो कंपनी में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है साथ ही अधिनियम की धारा 133, जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें, के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) सहित एवं इसके अंतर्गत जारी किए हैं, इस संदर्भ में सटीक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें, जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और इसे रोकने के लिए लेखा नीतियों का चयन व लागू कराने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू कराने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाले मिथ्याकथन से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी को चालू समुत्थान के रूप में इसकी क्षमता का आकलन करती है तथा जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का या इसके संचालन को रोकने के लिए, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न होने पर चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करती है तथा चालू समुत्थान से संबंधित मामले को आवश्यकता अनुसार प्रकट करती है।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देख-रेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है जिसमें इस बात की भी बात संपुष्टि हो कि क्या भारतीय लेखांकन मानक पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, जो यह गारंटी नहीं देता है कि धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानक के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा हमेशा गलत विवरण का पता लगायेगी ही। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और यह माना जाता है कि व्यक्तिगत या पूर्ण रूप से यह इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

एस.ए.एस. के एक भाग के अनुसार लेखा परीक्षा के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को संपुष्टि करते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हुआ हो। साथ ही उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं का यह डिजाइन निष्पादित करते हैं, जिससे लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त होता है जो हमारी विचारधारा को एक आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित भूमिका का निर्वहन करता है। धोखाधड़ी के कारण भौतिकवाद के इस जोखिम का पता नहीं लगता है जिसके परिणामस्वरूप कई विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की, समझ प्राप्त करते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस तरह के नियंत्रणों का संचालन की प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों को तर्किक ढंग से इसका मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का प्रबंधन द्वारा इसकी उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित क्या ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है, जो एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। फिर भी यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू समुत्थान के रूप में बने रहने में कठिनाई भी हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है का मूल्यांकन करते हैं।

अन्य मामलों में, हम लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिन्हें हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त करते हैं, के बारे में शासन विधि प्रतिनिधियों से संवाद करते हैं।

हम शासन विधि प्रतिनिधियों को अपने वक्तव्य द्वारा यह आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जो संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है। शासन विधि के लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे और यह प्रमुख लेखापरीक्षा मामले से संबंधित होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रतिवेदन में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी जो सार्वजनिक हितलाभ से अतिभारित होगा।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के अनुसार अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में, हम "अनुलग्नक- 1" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर हम "अनुलग्नक-2" दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i. हमने अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से उन सभी जानकारियों एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक था।
 - ii. हमारा राय में, अब तक के उन बहियों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में विधि द्वारा आवश्यक उचित लेखा बहियों को कंपनी ने रखा है।
 - iii. इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुरक्षित प्रासंगिक लेखा बहियों के साथ अनुबंध में है।
 - iv. हमारे मत में, उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2021 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।
 - v. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार

एक सरकारी कंपनी होने के नाते हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

- vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट का अवलोकन करें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।
- vii. अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमें सूचित किया जाता है कि अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रबंधकीय पारिश्रमिक कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- viii. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी फंड उन्नत या उधार या किसी भी फंड (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) का निवेश नहीं किया गया है। (एस) या संस्था (एं), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करेगा या निवेश करेगा। कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कोई भी तरीका प्रदान करें।
- ix. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति (एस) या इकाई (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ कि क्या लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह; तथा
- x. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (1) और (2) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- xi. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- क. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है, जो उसके इंड-एएस वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
- ख. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई डेरिवेटिव अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी तरह के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि को फंड में स्थानांतरित करने में देरी नहीं होती है।
- घ. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 का अनुपालन नहीं होता है।

कृते सूरू कोटनी एंड एसोसिएट

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 322549E

ह/-

सीए. वेंकटेश्वरू सूरू, एफसीए, डीआईएसए

सहभागी

एम.नं. 089258

यू.डी.आई.एन. – 22089258

यूडीआईएन: 23089258BGYLRJ3928

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 26 अप्रैल, 2023

अनुलग्नक-1 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसार महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 उल्लेखित विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

क. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख. उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के संपत्ति संयंत्र और उपकरण और उपयोग के अधिकार की संपत्ति का प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई है और हमारी राय में इस तरह के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता उचित है कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के अनुसार।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई शीर्षक विलेख नहीं है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान 31 मार्च 2022 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii) क. कंपनी के पास कोई सूची नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. कंपनी को रुपये 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान किसी भी समय, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या किसी अन्य पार्टी में निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, जिसके संबंध में:

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण या स्थायी गारंटी की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या किसी अन्य संस्था को सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और ऋण प्रदान करने के नियम और शर्तें प्रथम दृष्टया हैं, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

ग. दिए गए ऋणों के संबंध में, मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान की समय-सारणी निर्धारित की गई है और मूलधन की चुकाती और ब्याज की प्राप्ति आमतौर पर नियमानुसार नियमित होती हैं।

घ. कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

ङ. कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, उसका नवीनीकरण या विस्तार नहीं किया गया है या समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नए ऋण दिए गए हैं।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए खंड 3(iii)(f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम नहीं दिया है, सुरक्षित या असुरक्षित।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण / निवेश / गारंटी / सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग, 2013 नहीं आता है।

v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में:

क हमारी राय में, कंपनी सामान और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक देय जो उस पर उपयुक्त प्राधिकारियों के पास लागू हों।

कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के संबंध में विवादित बकाया का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रमिक	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (रुपये लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
--	--	--	--	--	--

viii) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या प्रकटीकरण के रूप में पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix) कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा वित्तफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

xi) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xii) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ई) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान और उसके बाद तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी द्वारा हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय कोई विसंगति और शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii) केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम होने और संबंधित पार्टी लेनदेन होने के कारण कंपनी ने प्रासंगिक विवरणों का खुलासा किया है जैसा कि इंडस्ट्रीज़ एएस24 के पैरा 26 के तहत आवश्यक है।

ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी को जनशक्ति के हिस्से के लिए भुगतान लागत रु. 7.65 लाख और चालू खाते पर बकाया रु. 153.65 लाख [कुल 161.30 लाख]

xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड (xiv)(a) और (xiv)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैरा 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए खंड 3(xvi)(a), (b), (सी) और (डी) आदेश का लागू नहीं है।

xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और कंपनी द्वारा किए गए पूर्व-संचालन खर्चों के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है। नकद हानि की राशि रु.2.78 लाख है, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में रु.2.34 लाख है।

जब भी के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xx) मालिक अनुपात, उब बढने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अवधि तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन मालिकों के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब और जब गिरावट देय हो बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग पर आधारित है ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्य और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियां, कंपनी द्वारा और जब भी देय हो, कंपनी द्वारा छुट्टी दे दी जाएगी।

xx) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(a) और (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते सूरु कोटनी एंड एसोसिएट

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 322549E

ह/-

सीए. वेंकटेश्वर सूरु, एफसीए, डीआईएसए

सहभागी

एम.नं. 089258

यूडीआई.एन. - 22089258

यूडीआईएन: 23089258BGYLRJ3928

स्थान: मुम्बई

दिनांक: 26 अप्रैल, 2023

अनुलग्नक- 2 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशानिर्देशों एवं अतिरिक्त दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	लेखा परीक्षकों का जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	हां, कंपनी के खाते टैली.ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में रखे जाते हैं, जिसमें सभी डेटा को मैन्युअल फीडिंग के माध्यम से कैप्चर किया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी में कोई विनिर्माण या कोई अन्य परिचालन नहीं है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की समर्थता के बावजूद किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋण देने वाली कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	हमें दी गई हमारी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा छूट बट्टे खाते में ऋण/ऋण/ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है। कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया था।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों और इनकी एजेंसियों (अनुदान / अनुवृत्ति) से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची तैयार करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की प्राप्ति /प्राप्य प्राप्त नहीं हुई है।

कृते सूरू कोटनी एंड एसोसिएट

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 322549E

ह/-

सीए. वेंकेश्वर सूरू, एफसीए, डीआईएसए

सहभागी

एम.नं. 089258

यू.डी.आई.एन. - 22089258

यूडीआईएन: 23089258BGYLRJ3928

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 26 अप्रैल, 2023

अनुलग्नक-3 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट।

समाप्त वर्ष के दौरान एवं तारीख के अनुसार हमने वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन के साथ 31 मार्च, 2022 तक महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व:-

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रक के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाये रखने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे। जिसमें संबंधित कंपनी के नीतियों का पालन करना, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी का पता लगाना और त्रुटियाँ, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा ("मार्गदर्शन नोट") पर मार्गदर्शन टिप्पण एवं आई.सी.ए.आई. द्वारा लेखा परीक्षा मानक जो अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में आवश्यक रूप से निर्धारित हैं एवं जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं, के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की है तथा दोनों ही भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना का पालन करें तथा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदनों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके प्रभावशील संचालन से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना की एक भौतिक कमजोरी मौजूद है एवं डिजाइन का परीक्षण तथा मूल्यांकन और जोखिम आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के प्रभावशील संचालन शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1). अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, और जो उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2). उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3). कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के संबंध में समय पर पता लगाए व इसके निवारण हेतु उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण हो सकते हैं और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में ह्रास हो सकता है।

मत

हमारी राय में, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आई.सी.ए.आई.') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर निर्देशन टिप्पण में वर्णित आवश्यक आंतरिक नियंत्रण घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे।

कृते सूरू कोटनी एंड एसोसिएट

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 322549E

ह/-

सीए. वेंकटेश्वर सूरू, एफसीए, डीआईएसए

सहभागी

एम.नं. 089258

यू.डी.आई.एन. - 22089258

यूडीआईएन: 23089258BGYLRJ3928

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 26 अप्रैल, 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। दिनांक 24 अप्रैल 2023 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किए जाना वर्णित है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते और कि ओर से

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

ह/-

(अतुल प्रकाश)

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 20 जून 2023

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला), कोलकाता

31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

परिसंपत्तियाँ	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	0.67	0.98
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	4	2,298.84	2,129.82
(ग) अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ	5	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.1	-	-
(ङ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.2	-	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	75.11	75.11
(छ) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		-	-
(ज) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	10	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (क)		2,374.62	2,205.91
चालू संपत्तियाँ			
(a) वस्तु- सूची	12	-	-
(b) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार देय	13	-	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	8.62	3.32
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(c) चालू कर परिसंपत्तियाँ (सकल)		3.08	3.08
(d) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	0.01	0.01
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		11.71	6.41
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		2,386.33	2,212.32

31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणी	31.03.2023	31.03.2022
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	5.00	5.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	-606.90	-604.13
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण जिम्मेदार इक्विटी		-601.90	-599.13
गैर नियंत्रित व्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		-601.90	-599.13
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय		-	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		-	-
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय	19	-	-
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	2,983.49	2,808.26
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	4.74	3.19
(ग) प्रावधान	21	-	-
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		2,988.23	2,811.45
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (क+ख+ग)		2,386.33	2,212.32

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस के बेहेरा)
प्रबन्धक(वित्त)

ह/-
(जे कुमार)
उप महाप्रबन्धक(वित्त)

ह/-
(एस के भूईया)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(के एस सिंह)
निदेशक
डीआईएन-09595085

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन-08651284

अब तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
सुरु कोटनी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या: 322549ई

स्थान: भुयनेश्वर
दिनांक: 26.04.2023

ह/-
(सीए सुरु वेंकटेश्वरलु)
साझेदार
सदस्यता संख्या 089258

(₹ लाख में)

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

	टिप्पणी	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन से राजस्व	संख्या		
क. चिक्रय (सांविधिक लेवी का निवल)	24	-	-
ख. अन्य प्रचालन राजस्व (वैधानिक लेवी का निवल)		-	-
i. प्रचालन से राजस्व (क+ख)		-	-
ii. अन्य आय	25	-	-
iii. कुल आय (i+ii)		-	-
(IV) व्यय			
खपत की गई सामग्री की लागत	26	-	-
व्यापार में स्टॉक की खरीद		-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक	27	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	28	-	-
ऊर्जा व्यय		-	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	-	-
भरपूर	30	-	-
संविदात्मक व्यय	31	-	-
वित्त लागत	32	-	-
मूल्यहास/परिशोधन/हानि व्यय		0.22	0.22
प्रावधान	33	-	-
बट्टे खाते में डालना	34	-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
अन्य व्यय	35	2.56	2.12
कुल व्यय (IV)		2.78	2.34
संयुक्त उद्यम के शेयर से पूर्व लाभ/सहयोगी के लाभ/(हानि) (III-IV)		-2.78	-2.34
(VI) संयुक्त उद्यम के शेयर /सहयोगियों के लाभ/(हानि)			
(VI) असाधारण मद		-	-
(VII) कर पूर्व लाभ (V+VI)		-2.78	-2.34
(VIII) कर व्यय	36		
चालू कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय (VIII)		-	-
(IX) सलत संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		-2.78	-2.34
(X) बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI) बंद प्रचालन के कर व्यय		-	-
(XII) बंद प्रचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) (X-XI)		-	-
(XIII) अवधि के लिए लाभ (IX+X+XI+XII)		-2.78	-2.34

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(XIV) अन्य व्यापक आय			
क (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।	37	-	-
(ii) मद से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
ख (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
(ii) मद से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय		-	-
(XVI) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)		-2.78	-2.34
लाभ के लिए जिम्मेदार :			
कंपनी के स्वामित्व		-2.78	-2.34
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		-2.78	-2.34
अन्य व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामित्व		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		-	-
कुल व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामित्व		-2.78	-2.34
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		-2.78	-2.34
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):			
(1) मौलिक		-5.55	-4.69
(2) मंदित		-5.55	-4.69
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु):			
(1) मौलिक		-	-
(2) मंदित		-	-
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत एवं बंद प्रचालन):			
(1) मौलिक		-5.55	-4.69
(2) मंदित		-5.55	-4.69

साथ में दिए गए टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

आय और हानि लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस के बेहेरा)
(प्रबन्धक(वित्त))

ह/-
(जे कुमार)
(उप महाप्रबंधक(वित्त))

ह/-
(एस के भूईया)
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

ह/-
(के एस सिंह)
(निदेशक)
डीआईएन-09595085

ह/-
(केशव राय)
अध्यक्ष
डीआईएन-08051284

अब तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
सुरु कोटनी एंड एसोसिएट
सन्दी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या: 322549ई

ह/-
(सीए सुकुमार)
हस्ताक्षर 04/04/2023

ह/-
(सीए सुकुमार)
साझेदार
सदस्यता संख्या 089258

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ लाख में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर पूर्व कुल व्यापक आय		(2.78)	(2.34)
निम्न के लिए समायोजन :			
दीर्घावधि के उधार पर विनिमय में उतार-चढ़ाव			
अचल आस्तियों की मूल्यह्रास / हानि		0.22	0.22
बैंक जमा पर ब्याज		-	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित वित्त लागत		-	-
स्टॉक की अनवाइडिंग		-	-
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
अवधि के दौरान किए गए और बढ़ते खाते में डाले गए प्रावधान		-	-
		(2.56)	(2.12)
चालू / गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं के पूर्व परिचालन लाभ			
निम्न के लिए समायोजन :			
वस्तु-सूची		-	-
व्यापार प्राप्त्य		-	-
गैर चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां		-	-
चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां		-	-
चालू / गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं		176.80	111.19
प्रचालन से उत्पन्न नकद		176.80	111.19
भुगतान किए गए आयकर/प्रतिदाय		-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(A)	174.24	109.07
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अचल संपत्तियों की खरीद/सीडबल्यूआईपी		(168.94)	(107.80)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज / लाभांश		-	-
निवेश से ब्याज / लाभांश		-	-
निवेश गतिविधियों से सकल नकद	(B)	(168.94)	(107.80)

		(₹ लाख में)	
		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह			
उधार में बदलाव		-	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव		-	-
सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान		-	-
वरीयता शेयर पूंजी का मोचन		-	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित व्याज और वित्त लागत		-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी के पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियां में प्रयुक्त नियत नकद	(C)	-	-
नकद और बैंक शेष में सकल वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी)		5.31	1.26
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		3.32	2.06
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष 31.12.2022 तक		8.63	3.32
(कोष्ठ के सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)			

पूर्वोक्त कथन अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है।

वर्तमान अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए गत वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस के बेहेरा)
प्रबन्धक(वित्त)

ह/-
(जे कुमार)
उप महाप्रबंधक(वित्त)

ह/-
(एस के भूईया)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(के एस सिंह)
निदेशक
डीआईएन-09595085

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन-08651284

अब तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
सुरु कोटनी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या: 322549ई

ह/-
(सीए सुरु वेंकटेश्वरलु)
साझेदार
सदस्यता संख्या 089258

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 26.04.2023

31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी
31 मार्च 2023 तक

विवरण	01-04-2022	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2022 तक	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	(₹ लाख में)
	तक शेष		पुनःवर्णित शेष		31.03.2023 तक शेष
प्रत्येक ₹. 10/- के 50000 इक्विटी शेयर	5.00	-	5.00	-	5.00
31 मार्च 2022 तक					(₹ लाख में)

विवरण	01-04-2021	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	04.01.2021 तक	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 तक शेष
	तक शेष		पुनःवर्णित शेष		तक शेष
प्रत्येक ₹. 10/- के 50000 इक्विटी शेयर	5.00	-	5.00	-	5.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निलय) - (ओसीआई)	कुल
	-	-	-604.13	-	-604.13
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-2.78	-	-2.78
अन्तरिम लाभभंडार	-	-	-	-	-
अंतिम लाभभंडार	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (टीआरएफ से मुख्यालय)	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक शेष	-	-	-606.90	-	-606.90

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निलय) - (ओसीआई)	कुल
01.01.2021 तक शेष	-	-	-601.78	-	-601.78
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-2.34	-	-2.34
अन्तरिम लाभभंडार	-	-	-	-	-
अंतिम लाभभंडार	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (टीआरएफ से मुख्यालय)	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक शेष	-	-	-604.13	-	-604.12

संतुलन हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस के बेहेरा)
प्रबन्धक(वित्त)

ह/-
(जे कुमार)
उप महाप्रबन्धक(वित्त)

ह/-
(एस के भूईया)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(के एस सिंह)
निदेशक
डीआईएन-09595085

ह/-
(केशव राय)
अध्यक्ष
डीआईएन-08651284

स्थान:भुवनेश्वर
दिनांक: 26.04.2023

अब तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
सुरु कोटनी एंड एसोसिएट
संनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या: 322549ई
ह/-
(सीए सुरु रॉकटेस्वरसु)
साझेदार
सदस्यता संख्या 089258

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी- 1: निगमित जानकारी

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 2011 में ओडिशा के सुंदरगढ जिले में वसुंधरा-गर्जनबहाल कोयला खदानों के आस-पास 2x800 मेगावाट की कोयला आधारित सुपर-क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने के लिए निगमित किया गया था।

टिप्पणी- 2: महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

- i) कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") भारतीय लेखा मानक नियम, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी ए.एस.) के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- ii) मापन को पूर्वकालीन लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि
 - उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां (अनुच्छेद 2.14 में वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें);
 - परिभाषित लाभ योजनाएं- उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियां
 - लागत पर मालसूची या एनआरवी जो भी कम हो (अनुच्छेद संख्या 2.20 में लेखा नीति देखें)।

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब-तक 'रुपए लाख में' दो दशमलव अंको तक पूर्णांकित किए जाएंगे।

2.2 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण -

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में संपत्ति एवं देयताओं को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक आस्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब माना जाता है, जब:

- क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित है कि संपत्ति स्वीकार की जाये व बेची या उपभोग की जाए।
- ख. यह मुख्यतः व्यापार करने हेतु आस्तियों को रखती है।
- ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर आस्तियों की पहचान की जाए। या
- घ. आस्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) के समान है जब तक कि संपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग

अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी आस्तियों को गैर-वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा देयताओं को वर्तमान में स्वीकार किया जाएगा, जब:

- क. अपने सामान्य संचालनचक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।
- ख. मुख्यतः देयताओं को व्यवसाय हेतु बनाए रखना अपेक्षित हो।
- ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाए। या
- घ. रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने के लिए सशर्त अधिकार नहीं होंगे। देयता की शर्तें जो कि प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इक्विटी के जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता हो।

अन्य सभी देयताएं गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत हैं।

2.3 राजस्व स्वीकृति

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस महत्व को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है :

चरण- 1 संविदा की पहचान :

कंपनी ग्राहक के साथ संविदा के लिए तभी जिम्मेदारी लेती है जब ग्राहक द्वारा निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) संविदा के पक्षकारों ने संविदा को मंजूरी दे दी है और वे अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;
- ग) कंपनी को हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतान के शर्तों की पहचान कर सकती है;
- घ) संविदा में वाणिज्यिक विषय (कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह के जोखिम, समय या राशि संविदा के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है) है और

- ड) संभव है कि कंपनी उस पर विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु विनिमय के लिए हकदार होगी। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह संविदा में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है तो कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या कंपनी द्वारा प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

संविदा का संयोजन

कंपनी एक ही ग्राहक द्वारा (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) एक ही समय में दो या दो से अधिक संविदाओं को समेकित करती है और संविदा एक एकल संविदा के रूप में मान्य है, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त संविदा तय की जा सकती है;
- ख) एक संविदा में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे संविदा के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या
- ग) संविदा में तय किए गए माल या सेवाएँ (या प्रत्येक संविदा में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएँ) एकल कार्य-निष्पादन दायित्व हैं।

संविदा संशोधन

यदि निम्न दोनों स्थितियाँ मौजूद हैं, तो कंपनी एक अलग संविदा के रूप में संविदा संशोधन के लिए उत्तरदायी है :

- क) तय किए गए माल या सेवाओं से अलग होने के कारण संविदा की गुंजाइश बढ़ जाती है।
- ख) संविदा की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है, यह कंपनी के स्टैंडअलोन को अतिरिक्त संविदा परिस्थितियों को दर्शाने के लिए अतिरिक्त कीमत वाले वस्तु या सेवाओं की कीमतों और उस मूल्य के लिए किसी भी उचित निर्णय को दर्शाता है।

चरण - 2 : निष्पादन दायित्वों की पहचान

संविदा करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ संविदा में तय किए गए माल या सेवाओं का आकलन करती है और कार्य निष्पादन दायित्व रूप में उसकी पहचान करने हेतु प्रत्येक ग्राहक से वादा करती है :

- क) माल या सेवाएँ (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग हैं ;या
- ख) अलग-अलग माल या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए उनके स्थानांतरण तरीका भी समान होता है।

चरण 3 : लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी, लेन-देन की कीमत निर्धारण करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसके प्रचलित व्यवसायिक कार्यों को ध्यान में रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु विनिमय के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक संविदा में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा, छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है।

कुछ संविदाओं में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, संविदा के प्रावधानों के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि मान्य संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ा आनाश्रितता का बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह संविदा के आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी

हकदार नहीं समझती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में परिवर्तन और, इसलिए, संविदा) की परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

संविदा के प्रारंभ होने के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती है, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4 : लेन-देन मूल्य का आवंटन

लेन-देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग-अलग माल या सेवा) के लिए एक राशि में लेन-देन मूल्य आवंटित करना है जिसमें उस विचार को दर्शाया गया है जिससे कंपनी को उम्मीद है कि वह ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगी।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी संविदा में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग माल या सेवाओं के संविदा के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को स्वीकृति देना :

कंपनी राजस्व को तब स्वीकृति देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है तो कंपनी समय पर माल या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को स्वीकृति देती है:

- क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कार्य-निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी कार्य-निष्पादन करती है;
- ख) कंपनी का कार्य-निष्पादन संपत्ति को बनाता या बढ़ाता है और जितनी संपत्ति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है।
- ग) कंपनी का कार्य-निष्पादन, कंपनी के वैकल्पिक उपयोग से साथ एक आस्तियां नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक के कार्य-निष्पादन के भुगतान के लिए एक लागू करने योग्य अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने के लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को स्वीकृति देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आंकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करती है।

कंपनी संविदा के अंतर्गत तय किए गए शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व स्वीकृति के लिए उत्पाद पद्धति को लागू करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियाँ शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों और बुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को केवल तभी पहचानती है जब कंपनी प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। जब (या जैसा) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है, तो कंपनी लेनदेन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है (जिसमें परिवर्तनीय विचार के अनुमान शामिल नहीं होते हैं जो उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित किए जाते हैं)।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरी नहीं होती, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध माल या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं हैं:

- क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
- ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक होता है;
- ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया है;
- घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा का स्वामित्व होता है;
- ड.) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब संविदा के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर संविदा को संविदा संपत्ति या संविदा देयता के रूप में तुलन पत्र में

प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

संविदा आस्तियां:

एक संविदा संपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित माल या सेवाओं के विनिमय में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी माल या सेवाओं को किसी ग्राहक को अंतरित करती है, तो अर्जित निर्णय के लिए संविदा संपत्ति को स्वीकृति प्राप्त होता है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य :

प्राप्य राशि कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है, जो शर्तरहित है (केवल भुगतान से पहले समय की आवश्यकता है)।

संविदा प्राप्य:

संविदा देयता ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्राप्त होते (या विचार की राशि देय है) हैं। यदि ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, तो जब भुगतान किया जाता है या देय (जो भी पहले हो) होता है तब संविदा देयता को स्वीकृति दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके ब्याज आय को दर्शाया जाता है।

लाभान्श

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार मिलने पर निवेश से प्राप्त लाभान्श आय को दर्शाया जाता है।

अन्य दावे

जब वसूली की निश्चितता होती है और उसे विश्वनीयता से मापा जा सकता है तब अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित ब्याज पर ब्याज सहित) के लिए जिम्मेदार हैं।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक स्वीकार नहीं किये जाएंगे जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और निश्चित रूप से अनुदान प्राप्त करेगी।

लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर सरकारी अनुदान को उस अवधि के स्वीकृति को दर्शाया गया है जिस अवधि में कंपनी संबंधित लागतों को खर्च अनुदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर चिन्हित करती है।

संपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के तहत लाभ और हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, को रूप अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

प्रमोटर के योगदान की प्रकृति में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे "पूँजीगत रिजर्व" में मान्यता दी जानी चाहिए जो "शेयरहोल्डर्स के फंड" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

एक संविदा एक पट्टा को शामिल करता है, यदि संविदा विचार विनिमय में समयावधि के लिए किसी चिन्हित आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 कंपनियों पट्टेदार के रूप में

प्रारंभन तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की हो।

इसके बाद, लागत मॉडल का उपयोग करके आस्तियों के उपयोग का सही आकलन किया जाता है जबकि, पट्टे देयता को पट्टे देयता पर ब्याज को प्रदर्शित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर मापा जाता है, जो पट्टे के भुगतानों को प्रदर्शित करने के लिए वहन राशि को कम करता है और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टे संशोधनों को प्रदर्शित करने के लिए वहन राशि की पुनः मापा करता है।

वित्त प्रभावों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है। संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यहास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-से-उपयोग की संपत्ति का मूल्यहास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.5.2 एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में हैं।

एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और आकस्मिक पुरस्कारों को आस्ति के स्वामित्व के लिए स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित जोखिम के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

प्रचालन पट्टे-

जब तक अन्य प्रणालीगत आधार पर पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न हो, अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से लाभ कम होता है परिचालन पट्टों से पट्टे भुगतान को एक स्ट्रेट लाइन-आधार पर आय के रूप में दर्शाया जाता है।

वित्तीय पट्टे- एक वित्त पट्टे के तहत आयोजित आस्तियों को शुरू में तुलन पत्र में दर्शाया जाता है और पट्टे में सकल निवेश के आकलन के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में सकल शुद्ध निवेश के बराबर राशि प्राप्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.6 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू आस्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु रखती है, यदि गैर चालू आस्तियों की कुल राशि सतत उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो। जब विनिमय व्यवसायिक हो तब इन उद्देश्यों के लिए विक्रय लेन-देन में अन्य गैर चालू आस्तियों के लिए अन्य गैर चालू आस्तियों का विनिमय शामिल होता है। बिक्री को पूर्ण करने की आवश्यक कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि बिक्री के लिए महत्वपूर्ण बदलाव या विक्रय का निर्णय वापस लेने की संभावना नहीं है। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रबंधन अपेक्षित बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए यह बिक्री लेनदेन विनिमय, गैर चालू आस्तियों से अन्य गैर चालू आस्तियों में भी किया जा सकेगा जो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लागू होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए मानदंड बनाए जाते हैं जब आस्तियों या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, जो केवल ऐसी शर्तों के लिए हैं जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि उसका परित्याग किया जाएगा। कंपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब :

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर आस्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- क्रेता का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है (यदि लागू हो),

- वर्तमान उचित मूल्य पर आस्तियों (निपटान समूह) के विक्रय हेतु सटिक कदम उठाए जा रहे हैं।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानतः तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

जमीन की खरीद पूर्ववर्ती लागत पर की जाती है। इस कुल लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुनः स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की एक वस्तु को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में शामिल हैं:

- क. व्यापार में मिले छूट में कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।
- ख. किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा स्थल तक संपत्ति को लाने के लिए क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।
- ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित व्यय तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक भाग की लागत अलग-अलग मूल्यह्रास वाली वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है। हालांकि, समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि वाले पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण भाग को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित दिन प्रतिदिन की कार्य लागत को 'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में उस अवधि में वर्णित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के हिस्सों की प्रतिस्थापन लागत को मदों की वहन राशि में चिन्हित किया जाता है, यदि भविष्य में मदों के साथ जुड़े आर्थिक लाभ से कंपनी को लाभान्वित होने की संभावना है; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए उन भागों की वहन राशि को नीचे उल्लिखित अपमान नीति के अनुसार चिन्हित किया जाता है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की राशि में स्वीकार किया जाता है, यदि भविष्य में मदों के साथ जुड़े आर्थिक लाभ से कंपनी को लाभांवीत होने की संभावना है; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की शेष बची हुई राशि (भौतिक भागों से भिन्न) को दर्शाया गया है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के एक मद को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण के ऐसे अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में पहचाना जाता है। फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :

अन्य भूमि

(पट्टेकृत भूमि सहित) परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो

भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी कार्यकाल उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए संपत्ति का उपयोगी कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्धारित उपयोगी कार्यकाल से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्तियों के अनुमानित उपयोगी कार्यकाल की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

पूरी तरह से ह्रास एवं सक्रिय उपयोग से निवृत्त आस्तियों को संयंत्र उपकरण के तहत इसके शेष मूल्य पर सर्वे ऑफ आस्तियों के रूप में अलग से प्रदर्शित किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कतिपय आस्तियों के निर्माण/विकास पर जो पूंजी व्यय किया जाता है जो कंपनी के उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या मौजूदा आस्तियों के संचालन में आवश्यक होता है। संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या समर्थकारी आस्तियों के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक के परिवर्तन

कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए लागत मॉडल के अनुसार वित्तीय विवरणों में स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक के परिवर्तन की तिथि से पिछले जीएएपी के अनुसार वहन राशि को आंका है।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीकृत लागतें शामिल होती हैं जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती हैं, तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और किसी पहचाने गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लंबित होने तक, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण ;
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध और विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक और भूभौतिकीय अध्ययनों के माध्यम से खोजपूर्ण डेटा एकत्र करना;
- अन्वेषणीय ड्रिलिंग, ट्रैचिंग और नमूनाकरण;
- संसाधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और जांच करना;
- परिचलन और पुनर्स्थापना की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण;
- बाजार और वित्त अध्ययन आयोजित करना।

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री और उपयोग किए गए ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अगूर्त घटक समग्र अपेक्षित मूल्य लागतों के एक नगण्य/अगण्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य के शोध से वसूल किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

तकनीकी व्यवहार्यता और परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण के संबंधित परियोजना के आधार पर अन्वेषण और मूल्यांकन लागतों को परियोजना के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन वस्तु के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद में उन्हें लागत कम संचित हानि/प्रावधान पर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित भंडार निर्धारित हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिलने के बाद, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, अगर साबित भंडार निर्धारित नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकासात्मक व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी दी जाती है, पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और "विकास" शीर्षक के तहत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत हैं। पूंजीकृत विकास व्यय विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध हैं।

2.11 अमूर्त आस्तियां

अलग से अधिग्रहित अमूर्त आस्तियां संपत्ति को प्रारंभिक दर्शाये गए लागत पर आंका जाता है। व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहित अमूर्त संपत्ति की लागत, अधिग्रहण की तिथि पर ही उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल पर एक स्ट्रेट लाइन बेसिस के आधार पर गणना) और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, की लागत पर किया जाता है।

पूंजीगत विकास लागतों को छोड़कर, आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त आस्तियां, पूंजीकृत नहीं हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को लाभ या हानि और उस अवधि में अन्य व्यापक आय के विवरण में दर्शाया गया है जिसमें व्यय किया जाता है। अमूर्त संपत्ति के उपयोगी कार्यकाल का आकलन या तो परिमित या अनिश्चित काल के लिए किया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक कार्यकाल पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत नजर आने पर अमूर्त संपत्ति खराब हो सकती है, हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित अवधि उपयोगी कार्यकाल के लिए एक अमूर्त आस्तियां के लिए परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी कार्यकाल में परिवर्तन या आस्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित प्रतिरूप को परिशोधन अवधि या विधि को उचित रूप में संशोधित करने के लिए विचार किया जाता है, और लेखांकन मूल्यांकन में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित कार्यकाल के साथ अमूर्त आस्तियां पर परिशोधन व्यय लाभ या हानि के विवरण में स्वीकार्य है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति की गैर-मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो भी कम हो, की अवधि में शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित की जाती है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 आस्तियों की क्षति (वित्तीय आस्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उपयोग में परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक संपत्ति विशेष के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र हैं अन्य आस्तियां या आस्तियों के समूह, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि का निर्धारण उस नकदी-उत्पादक इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी आस्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो आस्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

2.13 निवेश संपत्ति

उत्पादन या माल और सेवा आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्य के लिए या व्यवसायिक सामान्य कार्य के लिए बिक्री के अलावा किराया या पूंजीवृद्धि या दोनों के लिए रखी संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रारम्भिक रूप से निवेश संपत्ति का आकलन इसके संबंधित लेन-देन की लागत सहित उधार लागत तथा उधार लागत जहां भी लागू हो, के आधार पर किया जाता है।

उनके अनुमानित उपयोगी कार्यकाल पर स्ट्रेट-लाइन पद्धति का उपयोग करके निवेश सम्पत्तियों का अवमूल्यन किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन एक संविदा है जो आस्तियों और किसी अन्य वित्तीय देयता या इक्विटी साधन प्रदान करती है।

2.14.1 वित्तीय आस्तियाँ

2.14.1 प्रारंभिक स्वीकृति और आकलन

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न किए गए वित्तीय आस्तियों, वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेन-देन की लागत के मामलों में सभी वित्तीय आस्तियों का प्रारम्भिक रूप से उचित मूल्य से अधिक दर्शाया जाता है। वित्तीय आस्तियों की खरीद या बिक्री, जिन्हें बाजार स्थान (नियमित रूप से ट्रेडों) में नियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय-सीमा के भीतर आस्तियों के वितरण की आवश्यकता होती है को व्यापार तिथि अर्थात वह तिथि जो कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए रखी जाती है को दर्शाया जाता है।

2.14.2 अनुवर्ती आकलन

वित्तीय परिसंपत्तियों को अनुवर्ती आकलन हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- परिशोधित लागत ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन। (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन। (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूर्ण होने पर ऋण साधन के परिशोधित लागत का मापन एवं आकलन किया जाता है।

- क. आस्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाए रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य आस्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और
- ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर आस्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक आकलन के बाद, इस तरह की वित्तीय आस्तियों का अनुवर्ती रूप से प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग कर परिशोधन लागत पर आकलन किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण कूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है पर जो किसी भी प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग होती हैं। लाभ या हानि के वित्त आय में ईआईआर परिशोधन शामिल है। खराबी से होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में दर्शाया गया है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफवीटीओसीआई के रूप में ऋण साधन को वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय आस्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. आस्ति संविदात्मक नकद प्रवाह, एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के ऋण उपकरणों को प्रारम्भिक रूप से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दर्शाया गया है। हालाँकि, कंपनी ब्याज आय, हानि, नुकसान और प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ व हानि में चिन्हित करती है। आस्ति की अस्वीकृति, ओसीआई में पहले से चिन्हित संचयी लाभ या हानि पी.एंड एल इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण साधन

ऋण साधन के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई ऋण साधन जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएलके रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी एक ऋण साधन नाभित करने का चयन भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा आकलन कम या समाप्त हो जाता है (जिसे अकाउंटिंग मिसमेच' कहा जाता है।) कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी ऋण साधन को नाभित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर पी. एंड एल. में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ आकलन किया जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि लेन-देन की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य का आकलन किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश का लेखा इक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 28 के अनुच्छेद 10 में निर्धारित है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि का उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के अनुवर्ती परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक स्थायी चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को इंस्ट्रुमेंट्स-दर-इंस्ट्रुमेंट्स के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक और स्थायी स्वीकृति पर बना है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के अनुसार एक इक्विटी इंस्ट्रुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभान्श को छोड़कर, इंस्ट्रुमेंट पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में दर्शाया गया हैं। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी.एंड एल. तक की मात्रा का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी में संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रुमेंट को पी. एवं एल. में दर्शाये गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है।

2.14.2.6 स्वीकृति रद्द करना

एक वित्तीय आस्ति (या जहां लागू हो, वित्तीय आस्ति के एक भाग या समान वित्तीय आस्ति के समूह का एक भाग) की स्वीकृति को प्राथमिक स्तर पर तब रद्द किया गया (अर्थात् तुलन पत्र से हटाया गया), जब:

- आस्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हो या
- कंपनी ने आस्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को देरी के बिना विलंब नकद प्राप्त भुगतान का दायित्व मान लिया है; या (क) कंपनी ने या तो मूलतः आस्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया, या (ख) कंपनी ने आस्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन आस्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने आस्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या पास-थ्रू व्यवस्था में हस्तक्षेप किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब कंपनी ने आस्ति के मूलतः सभी जोखिमों और पुरस्कारों का न तो हस्तांतरण किया है और न ही अपने पास रखा है और न ही आस्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया गया है, तो कंपनी हस्तांतरित आस्तियों को अपनी सतत भागीदारी स्वीकार करती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी स्वीकार करती है।

हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देयता को कंपनी के द्वारा बनाए गए अधिकारों और कर्तव्यों के प्रदर्शन के आधार पर आकलन किया जाता है। सतत हस्तक्षेप, जो आस्ति पर प्रत्याभूति लेता हो, आस्ति की निम्न मूल वहन राशि तथा प्रतिफल की अधिकतम राशि से आकलन किया जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय संपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और क्रेडिट जोखिम पर हानि की पहचान और आकलन के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को लागू करती है:

- क) वित्तीय आस्तियां जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, व्यापार प्राप्त्य और बैंक बैलेंस जो ऋण साधन हैं और परिशोधित लागत पर आँकी जाती हैं, वित्तीय आस्तियां जो कि ऋण साधन हैं और जिनका आकलन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणतः ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।
- ख) वित्तीय आस्तियां जो ऋण साधन हैं और जिसका एफवीटीओसीआई के रूप में आकलन किया जाता है।
- ग) भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त्य पट्टा
- घ) लेन-देन से उत्पन्न नकद या किसी अन्य वित्तीय आस्तियों को प्राप्त करने के लिए व्यापार प्राप्त्य या किसी भी संविदागत अधिकार भारतीय लेखांकन मानक 115 के अंतर्गत होते हैं।

कंपनी निम्न हेतु नुकसान भत्ते की स्वीकृति के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्त्य या अनुबंध राजस्व प्राप्त्य ; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से उत्पन्न सभी प्राप्त्य पट्टा

सरलीकृत दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि, यह प्रारंभिक स्वीकृति से ही रिपोर्टिंग प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर लाइफ टाइम ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को स्वीकृति देता है।

2.14.3 वित्तीय देयताएँ

2.14.3.1 प्रारंभिक पहचान तथा मापन

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताएँ प्रारंभिक स्तर पर उचित मूल्य में तथा ऋण और उधार एवं देय के मामलों में प्रत्यक्ष स्रोतजन्य अंतरण लागत में दर्शाई जाती हैं।

2.14.3.2 आगामी माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती हैं, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न ऋण साधन को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। अलग व्युत्पन्न एम्बेडेड को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिह्नित नहीं किया जाता है।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देयताओं को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है जैसा कि स्वीकृति की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में स्वीकृति प्राप्त है। इन लाभ हानियों को बाद में पी. एंड एल. में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में दर्शाया गया है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक स्वीकृति के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.14.3.5 स्वीकृति वापस लेना

एक वित्तीय देयता की स्वीकृति को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुनः प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की स्वीकृति और एक नई देयता की पहचान

के रूप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित आस्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण

कंपनी परियोजना निवारण करके प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद वित्तीय आस्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देयताएं हैं को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। वे वित्तीय देयताएं जो ऋण साधन हैं जिनका पुनः वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की आस्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन परियोजना निवारण करके आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और जो बाहरी पार्टियों के लिए स्वतः स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। अगर कंपनी वित्तीय आस्ति को पुनः पेश है या पुनः वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ, हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुनः वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुनः वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं:-

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनः वर्गीकृत तिथि पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी. एंड एल के रूप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनः वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनः वर्गीकृत तिथि पर मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।

एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	आस्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से दर्शाये गए संचयी लाभ या हानि को पुनः जमा करने की तिथि में पी. एंड एल. के रूप वर्गीकृत किया गया है।

2.14.5 वित्तीय साधन को पूरा करना

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओं को पूरा किया गया और शुद्ध राशि की सूचना समेकित तुलन पत्र में दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो तो संपत्ति को प्राप्त करने के साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.14.6 नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लागत

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या आस्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक आस्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.16 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय आयकर (पुनर्प्राप्त) की राशि होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए समूह की देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थायी करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देयताओं को आमतौर पर दर्शाया जाता है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थायी अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर दर्शाया गया है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थायी करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देयताओं को उस अवधि तक नहीं दर्शाया जाएगा, जब तक कि अस्थायी अंतर सद्भावना से या अन्य आस्तियों के प्रारंभिक स्वीकृति (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती हैं अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां समूह अस्थायी अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओंको स्वीकृति प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को कुछ हद तक स्वीकृति प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थायी अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने

की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अस्वीकृति प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक स्वीकृति दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें समूह को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबंधित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमशः उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया है। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में स्वीकृति प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.17.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग सांविधिक निकाय (कोयला परियोजना भविष्य निधि) द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। पारिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.17.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक पारिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी हैं। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं हैं। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है। बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं आस्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन हैं। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकिक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत आस्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयताओं के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें आस्ति योजना (व्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा आस्तियों

(ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (आस्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (आस्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरूप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत आस्तिओं में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोतरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढ़ाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित पारिभाषित लाभ योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) में है, जो उस आर्थिक व्यवहार की प्रमुख मुद्रा है जिसमें वह संचालित होती है।

लेन-देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के उन दरों से भिन्न दरों पर अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित किया गया था, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20.2 भंडार और पुर्जें

केन्द्रीय और क्षेत्रीय भंडार में स्पेयर पार्ट्स (जिसमें फुटकर औजार भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना

महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/उप-भंडार/ड्रीलिंग कैंप/उपभोक्ता केन्द्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जों उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.20.3 अन्य वस्तु सूची

कर्मशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईटों, रेतों, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रेप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब स्वीकृति प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह होना आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलन पत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो तो वहां दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूर नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये स्वीकृतियां यथोचित होती हैं।

2.22 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ में विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के साथ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेखांकन नीतियों को निर्णय और धारणाएं प्रभावित करती हैं और आस्तियों और देयताओं पर रिपोर्ट की गई राशि आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा करती हैं और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखा नीतियों के आवेदन को वित्तीय विवरणों में उद्धृत किया जाता है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर डाला गया है :

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय विवरण हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिस पर वे लागू होते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारीयाँ उद्धृत की हैं।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और
ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

- i. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।
- ii. केवल विधिक ही नहीं बल्कि आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां प्रतिबिंबित है।
- iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

iv. मितव्ययी, तथा

v. सभी सामग्रियां पूर्ण रूप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और आस्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जोकि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी ऊर्जा क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

लेखांकन के उपार्जन आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण गोडिंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.23.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते हैं कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी रूप में पहले की अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजे गए त्रुटियों/चूक को अपरिवर्तित और समायोजित किया जा सकता है, अगर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के पिछले लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल संपत्ति का 1%से अधिक न हों।

2.23.1.3 परिचालन पट्टे

कंपनी ने पट्टा करार किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है और संपत्ति का उचित मूल्य, कि यह सभी महत्वपूर्ण को बरकरार रखता है परिचालन पट्टों के रूप में अनुबंधों के लिए इन संपत्तियों और खातों के स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कार।

2.23.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी और अन्य महत्वपूर्ण खोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई हैं, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.23.2.1 गैर-वित्तीय आस्तियों की हानि

हानि तब होती है जब किसी आस्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, जो कि उचित मूल्य से अधिक निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी व्यक्तिगत परियोजनाओं को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से नकदी उत्पन्न करने वाली भिन्न इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कंपनी अभी तक या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है वह सीजीयू के परीक्षण के आस्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और बाह्य गणन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा और संबंधित नोटों में आगे बताया गया है।

2.23.2.2 कर

अस्थायी आस्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक स्वीकृति प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर आस्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.23.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा

परिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की स्वीकृतियों में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी स्वीकृतियों की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी अनुबंध के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोतरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां संभव न हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार एक परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है।

2.24 प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर:

क.	सीजीयू	नकद उत्पाद इकाई
ख.	डीसीएफ	रियायती नकद प्रवाह
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ङ.	जीएएपी	समान्यतः स्वीकृत मूलधन
च.	आइएनडी (इंड) एएस	भारतीय लेखांकन मानक
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
ज.	पी. एंड एल.	लाभ और हानि
झ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
ञ.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज भुगतान
ट.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)														
प्रोडोल्स लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/हाइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (बस आपूर्ति रोड तथा प्रसिधा)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्स्चर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	अन्य खनन आधार संरचना	परिसर/सिमा का सर्वे अंक	रेल कॉरेडोर	अन्य	कुल
सकल योजन राशि:														
1 अप्रैल 2021 तक							9.22	1.54			0.05		-	10.81
परिवर्धन							-	-					-	-
वित्तोपन / समायोजन							9.22	1.54			0.05		-	10.82
31 मार्च 2022 तक													-	
1 अप्रैल 2022 तक							9.22	1.54			0.05		-	10.82
परिवर्धन							-	-					-	-
वित्तोपन / समायोजन							9.22	1.54			0.05		-	10.82
31 मार्च 2023 तक													-	
संचित मुख्यधारा और सति							9.22	1.54			0.05		-	10.82
1 अप्रैल 2021 तक							7.59	0.95					-	8.54
वर्ष के लिए शुल्क							1.08	0.22					-	1.30
वित्तोपन / समायोजन							8.67	1.17					-	9.84
31 मार्च 2022 तक													-	
1 अप्रैल 2022 तक							8.67	1.17					-	9.84
वर्ष के लिए शुल्क							0.09	0.22					-	0.31
सति							-	-					-	-
वित्तोपन / समायोजन							-	-					-	-
31 मार्च 2023 तक							8.76	1.39					-	10.15
निवल योजन राशि														
31 मार्च 2023 तक							0.46	0.15			0.05		-	0.67
31 मार्च 2022 तक							0.55	0.37			0.05		-	0.98
1. अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं														
सकल योजन मूल्य	के नाम पर किराया टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड पारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक कीरतदास या प्रमोटर/निदेशक के कर्मचारी हैं	संपत्ति किस समय से आप्रति है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण										
क्रिस्टल रैंड	लागू नहीं	लागू नहीं												
अन्य भूमि	लागू नहीं	लागू नहीं												

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-4: पूँजीगत कार्य प्रगति

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्बर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन अवसंरचना/वि कास	निर्माणाधीन रेल कॉरीडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
								(₹ लाख में)
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल 2021 तक परिवर्धन				2,020.94	-	-	-	2,020.94
विलोपन / समायोजन				108.88	-	-	-	108.88
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	2,129.82	-	-	-	2,129.82
1 अप्रैल 2022 तक परिवर्धन	-	-	-	2,129.82	-	-	-	2,129.82
विलोपन / समायोजन				169.02	-	-	-	169.02
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	2,298.84	-	-	-	2,298.84
संचित हानि								
1 अप्रैल 2021 तक वर्ष के लिए शुल्क हानि								-
विलोपन / समायोजन								-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2022 तक वर्ष के लिए शुल्क हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि								
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	2,298.84	-	-	-	2,298.84
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	2,129.82	-	-	-	2,129.82

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

	(₹ लाख में) अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि: 1 अप्रैल 2021 तक परिवर्धन पूँजीकरण / विलोपन 31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 तक परिवर्धन विलोपन / समायोजन 31 मार्च 2023 तक	-
परिशोधन और हानि 1 अप्रैल 2021 तक वर्ष के लिए शुल्क हानि विलोपन / समायोजन 31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 तक वर्ष के लिए शुल्क हानि विलोपन / समायोजन 31 मार्च 2023 तक	-
शुद्ध वहन राशि 31 मार्च 2023 तक 31 मार्च 2022 तक	-

(क) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्तियों के लिए समय-सीमा अनुसूची

	की अवधि के लिए अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं प्रगति पर: अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित : परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-

(ख) अतिदेय अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं प्रगति पर: परियोजना का नाम				
कुल	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6.1 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

	(₹ लाख में)			
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि: :				
1 अप्रैल 2021 तक			-	-
परिवर्धन		-	-	-
पूँजीकरण / विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2022 तक	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-
परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल 2021 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2022 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि				
31 मार्च 2023 तक	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6.2: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

	विकास के तहत ईआरपी
सकल वहन राशि::	
1 अप्रैल 2021 तक	-
परिवर्धन	-
पूँजीकरण / विलोपन	-
31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 तक	-
परिवर्धन	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2023 तक	-
परिशोधन और हानि	
1 अप्रैल 2021 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	-
1 अप्रैल 2022 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2023 तक	-
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च 2023 तक	-
31 मार्च 2022 तक	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी - 7 : निवेश

गैर चालू निवेश	धारित राशि का प्रतिशत	शेयर / इकाइयों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	(₹ लाख में)	
				तक	
				31.03.2023	31.03.2022
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर				-	-
कुल (क)				-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)				-	-
अन्य निवेश				-	-
कुल (ख)				-	-
सकल योग (क+ख)				-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:				-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:				-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:				-	-

द्वितीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी - 7 (जारी)

निवेश	(₹ लाख में)			
	तक			
चालू	इकाइयों की संख्या	भारित औसत एनएवी (₹ में)	31.03.2023	31.03.2022
म्यूचुअल फंड निवेश				
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)			-	-
अंतर कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) में निवेश			-	-
कुल :			-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:			-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			-	-

टिप्पणी- 8 : ऋण

गैर-चालू	तक			
	इकाइयों की संख्या	भारित औसत एनएवी (₹ में)	31.03.2023	31.03.2022
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया			-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता			-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण				
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया			-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता			-	-
कुल			-	-
चालू				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया			-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता			-	-
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया			-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता			-	-
कुल			-	-

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(ए) देखें।

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण		31.03.2023		31.03.2022	
		सकल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %	सकल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %
उधारकर्ता का प्रकार					
निदेशकगण			-		-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			-		-
संबंधित पक्ष			-		-
कुल		-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी(समेकित)

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
गैर-चालू		
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	-	-
खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा	-	-
सुरक्षा जमा	-	-
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता	-	-
अन्य जमा और प्राप्तियाँ	75.11	75.11
घटाव : संदिग्ध जमा एवं प्राप्त्य के लिए भत्ते	-	-
	75.11	75.11
कुल	75.11	75.11
चालू		
धारक कंपनी/अनुषंगी कंपनियों/मुख्यालय के साथ चालू खाता शेष	-	-
घटाव : अनुषंगियों के साथ संदिग्ध शेष के लिए भत्ता	-	-
अर्जित ब्याज	-	-
अन्य जमा और प्राप्त्य	-	-
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्त्य राशियों के लिए भत्ता	-	-
सुरक्षा जमा	-	-
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(ए) देखें।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 10 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
(i) पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु भत्ता	-	-
	-	-
(ii) पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम	-	-
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु भत्ता	-	-
	-	-
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु भत्ता	-	-
	-	-
(ग) प्रगतिशील अन्य व्यय किए गए	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
(क) सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-
घटाव : संदिग्ध सांविधिक देय के लिए भत्ता	-	-
	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(ग) अन्य अग्रिम एवं जमा	0.01	0.01
घटाव : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
	0.01	0.01
(घ) किए गए अन्य प्रगतिशील व्यय	-	-
(डि.)इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्ति	-	-
कुल	0.01	0.01

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी -12 : वस्तु सूची

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
(क) स्टॉक	-	-
अल्प विकास	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
(ख) भंडार और पुर्जों का स्टॉक (निवल)	-	-
जोड़ : मार्गस्थ सामान	-	-
भंडार और पुर्जों का कुल निवल स्टॉक	-	-
(ग) केंद्रीय अस्पताल में दवा का स्टॉक	-	-
(घ) कार्यशाला कार्य और रैम कार्य	-	-
कुल	-	-

मूल्यांकन का तरीका : नोट संख्या 2.20 देखें - "वस्तु-सूची" पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

टिप्पणी : 13 : व्यापार से प्राप्त

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
चाहू	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-
सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
असुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	-
क्रेडिट हानि	-	-
घटाव: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

व्यापार प्राप्य की समय-सीमा (एजिंग) कार्यसूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसे अच्छा माना गया						-
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य-क्रेडिट हानि	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- जिसे अच्छा माना गया	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	-	-	-	-	-	-
(v) गुणवत्ता भिन्नता						-
कुल	-	-	-	-	-	-
बकाया देय						
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						0
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0%	0%	0%	0%	0%

कोयला गुणवत्ता भिन्नता का समाधान

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले की गुणवत्ता भिन्नता का प्रारंभिक शेष		
अवधि के दौरान योग	0	0
अवधि के दौरान परिवर्तन	0	0
कोयला गुणवत्ता भिन्नता का अंतिम शेष	0	0

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 14 : नगद एवं नगद समकक्ष

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
(क) बैंक के साथ शेष		
- जमा खातों में	-	-
- चालू खाते में	-	-
- (क) ब्याज सहित (सीएलटीडी खाते आदि)	-	-
- ब्याज-रहित	8.62	3.32
नकद क्रेडिट खातों में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट एवं मोहर	-	-
(घ) उपलब्ध नकद	-	-
(ङ.) अन्य	-	-
कुल नगद एवं नगद समकक्ष	8.62	3.32

नगद और नगद समकक्ष में, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ उपलब्ध बैंक में गद, स्वीप खाता तथा सावधि जमा शामिल हैं।

टिप्पणी- 15 : अन्य बैंक शेष

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
बैंकों के साथ शेष		
जमा	-	-
अन्य जमा (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए)	-	-
कुल	-	-

अन्य बैंक बैलेंस में विशेष उद्देश्यों के लिए बैंक जमा तथा रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर आशातीत नकद प्राप्त बैंक जमा शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

प्राधिकृत	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
प्रत्येक ₹. 10/ के 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
प्रत्येक ₹. 10/ के 50000 इक्विटी शेयर निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त	5.00	5.00
प्रत्येक ₹. 10/ के पूर्ण रूप से भुगतान किए गए 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
प्रत्येक ₹. 10/ के पूर्ण रूप से भुगतान किए गए 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00

1. 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी के शेयर

शेयरधारक का नाम	आयोजित शेयरों की संख्या (प्रत्येक ₹. 10 का अंकित मूल्य)	शेयर का कुल प्रतिशत Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन %
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड. (धारक कंपनी) और उसके नामित	50000	100.000	शून्य

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

विवरण	शेयरों की संख्या	"राशि (₹ लाख में)"
31.03.2017 तक शेष	50,000	5.00
योग/घटाव	-	0.00
31.03.2018 तक शेष	50,000	5.00
योग/घटाव	0.00	0.00
31.03.2019 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव)	-	-
31.03.2020 तक शेष	50,000	5.00
योग(घटाव)	-	-
31.03.2021 तक शेष	50,000	5.00
योग/घटाव	-	0.00
31.03.2022 तक शेष	50,000	5.00
योग/घटाव	-	0.00
31.03.2023 तक शेष	50,000	5.00

3. कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिसका अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित साक्षांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार होते हैं।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इवियटी

(₹ लाख में)

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2022 तक शेष	0.00	0.00	(604.13)	0.00	(604.12)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			(2.78)	0.00	(2.78)
अन्तरिम लाभांश					0.00
अंतिम लाभांश					0.00
सामान्य रिजर्व में/ के लिए अंतरण		0.00			0.00
अवधि के दौरान समायोजन (टीआरईएफ से मुख्यालय)					0.00
31.03.2023 को शेष	0.00	0.00	(606.90)	0.00	(606.90)

(₹ लाख में)

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2021 तक शेष	0.00	0.00	(601.78)	0.00	(601.78)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	(2.34)	0.00	(2.34)
अन्तरिम लाभांश	0.00	-		-	0.00
अंतिम लाभांश	0.00	-		-	-
सामान्य रिजर्व में/ के लिए अंतरण	0.00	-		-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-		0.00	0.00
31.03.2022 तक शेष	0.00	0.00	(604.13)	0.00	(604.12)

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 18: उधार

(₹ लाख में)

गैर-चालू	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सावधि ऋण		
बैंक से	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर प्रतिदेय ऋण		
बैंक से		
- बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
- बैंक से अन्य ऋण	-	-
अन्य से	-	-
दीर्घावधि उधार की वर्तमान परिपक्वता	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी -19: व्यापार देनदारियां

	(₹ लाख में)	
	तक 31.03.2023	31.03.2022
चालू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा कुल	-	-
व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	-
क) मूलधन और ब्याज राशि बकाया है लेकिन वर्ष के अंत तक देय नहीं है।	-	-
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 की धारा -16 के संदर्भ में अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज (जिसका भुगतान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम - 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है।)	-	-
घ) अर्जित ब्याज और वर्ष के अंत तक बकाया	-	-
ड.) आगे के वर्षों में बकाया और देय ब्याज, ऐसी तिथि तक जब उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।	-	-

"व्यापार प्राप्त समय-सीमा अनुसूची"

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
बकाया देय	-	-	-	-	-

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
गैर-चालू सुरक्षा जमा बयानां राशि अन्य	-	-
चालू	-	-
एमसीएल के साथ चालू खाता	2,978.32	2,801.83
सुरक्षा जमा बयाना राशि	3.08	3.08
पूँजीगत व्यय के लिए देय	0.05	0.05
कर्मचारी लाभ के लिए देयताएँ	0.26	0.26
अन्य	1.77	3.04
कुल	2,983.49	2,808.26

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-21: प्रावधान

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
अन्य प्रावधान	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
अनुग्रह राशि	-	-
कार्य निष्पादन से संबंधित भुगतान	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
अन्य प्रावधान	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-22: अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
स्थगित आय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-23: अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	तक	
	31.03.2023	31.03.2022
सांविधिक बकाया राशि	4.74	3.19
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	-	-
अन्य देयताएँ	-	-
कुल	4.74	3.19

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कोयले का विक्रय	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
कोयले का विक्रय (निवल) (क)	-	-
ख. अन्य संचालन राजस्व		
लदान एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
निकासी सुविधा शुल्क	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
सेवाओं से राजस्व	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (ख)	-	-
संचालन से राजस्व (क+ख)	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-25 : अन्य आय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	-	-
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय	-	-
परिसंपत्ति की विक्रय पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड के विक्रय पर लाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
दायित्व/प्रावधान वापस लिखा गया (राइट बैक)	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
विविध आय	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 26: सामग्री खपत की लागत		
विस्फोटक	-	-
लकड़ी	-	-
तेल और लुब्रिकेंट	-	-
एचईएमएम पुर्जें	-	-
अन्य उपभोग्य भंडार और पुर्जें	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 27: तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक		
प्रारम्भिक स्टॉक	-	-
अंतिम स्टॉक	-	-
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	-	-
कार्यशाला से तैयार माल, कार्य प्रगति पर और प्रेस कार्य का प्रारम्भिक स्टॉक	-	-
कार्यशाला से तैयार माल, कार्य प्रगति पर और प्रेस कार्य का अंतिम स्टॉक	-	-
ख. कार्यशाला की सूची में परिवर्तन	-	-
व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (ए+बी) { घटाव / (अभिवृद्धि)}	-	-
टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, (भत्ते, बोनस आदि सहित)।	-	-
भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 29: कॉर्पोरेट निगमित उत्तरदायित्व व्यय		
सीएसआर व्यय	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

सीएसआर से संबंधित टिप्पणी

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित):		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	-	-
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा उन्नयन	-	-
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के समक्ष आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	-	-
पर्यावरणीय स्थिरता	-	-
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	-	-
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध में हुई विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	-	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	-	-
इन्क्यूबेटर्स या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	-	-
झुग्गी झोपड़ियों का विकास	-	-
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	-	-
कुल	-	-
ख. सीएसआर व्यय ब्रेक-अप		
अवधि/वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

	(₹ लाख में)	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 30 : मरम्मत		
भवन	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय		
परिवहन शुल्क	-	-
वैगन लोडिंग	-	-
संयंत्र और उपकरण भाड़े पर लेना	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत		
ब्याज पर व्यय	-	-
छूट का अनवाईडिंग	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
टिप्पणी 33 : प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम और दावे	-	-
भंडार एवं पुर्ज	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 34 : बट्टे खाते (गत प्रावधानों का निबल)		
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव:- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाव:- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
अन्य	-	-
घटाव:- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन और डाक	-	-
विज्ञापन और प्रचार	-	-
वस्तु भाड़ा प्रभार	-	-
विलम्ब-शुल्क	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-
एमसीएल के सेवा शुल्क	-	-
सीएमपीडीआईएल को परामर्श प्रभार	-	-
विधि व्यय	-	-
परामर्श शुल्क	0.11	0.19
लोडिंग शुल्क के तहत	-	-
विक्रय/अस्वीकार/सर्वे ऑफ परिसंपत्तियों पर हानि	-	-
लेखापरीक्षक का मानदेय और व्यय	-	-
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	1.06	1.15
कर संबंधी मामलों के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.53	0.44
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	-	-
पुनर्वास शुल्क	-	-
लीज रेंट और हायरिंग चार्ज	-	-
दरें और कर	-	-
बीमा	-	-
विनिमय दर भिन्नता में कमी	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	-
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	-
आर एंड डी खर्च	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
दान, पुरस्कार और अनुदान	-	-
विविध व्यय	0.85	0.34
कुल	2.56	2.12

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 36 : कर - दाय्य

	(₹ लाख में)	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	-	-
आस्थगित कर	-	-
पूर्व वर्ष	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) (i) लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मर्दे परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-
(ii) उन मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-
कुल (क)	-	-
(ख) (i) लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने वाले मर्दे संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
(ii) उन मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	-	-

टिप्पणी 38: 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण हस्त अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. अपरिचित मद

क) आकस्मिक देयताएं

i. कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें क़ण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

(₹ लाख में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
दिनांक 01-04-2022 तक प्रारम्भिक शेष	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान निपटारा गए दावे	-	-	-	-	-
क. प्रारम्भिक शेष से	-	-	-	-	-
ख. वर्ष के दौरान योग से	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक अंतिम शेष	-	-	-	-	-

आकस्मिक देयता

क्रमांक.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	केन्द्रीय सरकार		
	आय कर	-	-
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
	केन्द्रीय विक्रय कर	-	-
	सेवा कर	-	-
	अन्य	-	-
	उप-योग	-	-
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रोयल्टी	-	-
	पर्यावरण मंजूरी	-	-
	विक्रय कर/वैट	-	-
	प्रवेश कर	-	-
	विप्लव शुल्क	-	-
	अन्य	-	-
	उप-योग	-	-
3	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	-
	कंपनी के अधीन मुकदमेवाजी के विरुद्ध मुकदमा	-	-
	अन्य	-	-
	उप-योग	-	-
4	अन्य: (यदि कोई)		
	वित्तीय - भूमि एवं अन्य	-	-
	कर्मचारी संबंधित और आदि	-	-
	उप-योग	-	-
	कुल योग	-	-

II. गारंटी

दिनांक 31.03.2023 को जारी की गई बैंक गारंटी निरंक है।

III. साख पत्र एवं आधारभूत पत्र

दिनांक 31.03.2023 के अनुसार अनुसार वकाया साख पत्र निरंक है और आधारभूत पत्र निरंक है।

(ख) बचनद्धताएं

पूँजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं: निरंक

अन्य प्रतिबद्धताएं निरंक

2. प्राधिकृत पूँजी

(₹ लाख में)

	31.03.2023	31.03.2022
प्रत्येक ₹ 10/- के 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00

3. संवन्धित पार्टी सूचनाएं

1) रोजगार पूर्व लाभ निधि तथा अन्य

(क) ट्रस्ट

1) कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड

2) कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)

3) कोल इंडिया अधिवर्षिता लाभ निधि ट्रस्ट

4) गैर-कार्यकारी कं. लिए संशोधित अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना

5) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट

(ख) संस्था

(क) भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) - (पंजीकृत संस्था)

(ख) कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एंटरप्राइज (सीआईएसपीए) - (पंजीकृत सोसायटी)

वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री केदार राव (डीआईएन: 08651284)	अध्यक्ष	10-01-2020
श्री एके पाण्डेय	निदेशक	01-03-2023
श्री जीती महपात्रा	निदेशक	01-03-2023
श्री केएस सिंह (डीआईएन: 09595085)	निदेशक	28.04.2022
श्री एस. के. भुईयां	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	16-03-2021

(iv) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्रमांक		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान		
	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
	सकल वेतन	0	0
	व्यक्तिगत लाभ	0	0
	अनुसंधान और अन्य लाभ	0	0
ii)	रोजगार पश्चात लाभ		
	भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	0.00	0.00
iii)	समाप्ति लाभ		
	कुल	0.00	0.00

टिप्पणी:

(v) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ लाख में)

क्रमांक		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान		
	बैठक शुल्क	-	0.00

(vi) दिनांक 31.03.2023 को प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों का बकाया शेष

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

(क)

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्ति या देय नहीं है। फर्जी या निजी कंपनियों से न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्ति प्राप्त है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

ख. समूह के भीतर संबंधित पार्टी लेनदेन

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ने अपनी अनुबंधी कंपनियों के साथ लेन-देन किया है जिसमें शीप शुल्क, पुनर्वास शुल्क, पट्टा किराया, सहायक कंपनियों द्वारा रखी गई निधि पर व्याज और चालू खाते के माध्यम से अन्य अनुबंधी कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य धन्य शामिल हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं:

1) धारक कंपनी
दिनांक 31.03.2023 को बकाया शेष राशि और उसके बाद संपात अवधि के लिए लेनदेन" (रु लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क,	प्रदत्त लाभ/हानि	परिसंपत्तियों की बिक्री	अनुवर्गियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चाहू खाता शेष देय/प्राप्तियां	बकाया शेष (देय)/प्राप्तियां
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	-	-	-	-	-	153.65	2,978.32	-
कुल वर्तमान अवधि	-	-	-	-	-	153.65	2,978.32	-

दिनांक 31.03.2022 को बकाया शेष राशि और उसके बाद संपात अवधि के लिए लेनदेन" (रु लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क,	प्रदत्त लाभ/हानि	परिसंपत्तियों की बिक्री	अनुवर्गियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चाहू खाता शेष देय/प्राप्तियां	बकाया शेष (देय)/प्राप्तियां
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	-	-	-	-	-	99.40	2,801.83	-
कुल वर्तमान अवधि	-	-	-	-	-	99.40	2,801.83	-

ग. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसए) है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकांश शेयर धारण करके नियंत्रित होती है (नोट-16 देखें)। एक सरकारी इकाई होने के नाते कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन और नियंत्रक सरकार तथा एक ही सरकार के तहत अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है। डिमनलिजिबल लेनदेन एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं के साथ सामान्य मूल्य पर दर्ज किए गए हैं।

4. विविध सूचनाएं

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कोर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिष्ठाित भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट -2) का मसौदा तैयार किया गया है।

(ख) लेखा नीति में परिवर्तन

वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति को खंड 2.11 अमूर्त संपत्ति और 2.17 कर्मचारी लाभ और 2.23.2 आकलन और मान्यताएँ में संशोधित/पुनः परिभाषित किया गया है। हालाँकि, उपरोक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

(ग) हलियाँ घोषणाएं

24 मार्च 2021 को कोर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। अनुसूची III के संशोधित डिवीजन I, II & III 1 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। कंपनी ने 2021-22 की पहली तिमाही के खातों से अपने वित्तीय विवरणों में संशोधनों को शामिल किया है।

(घ) अन्य

- पिछली अवधि/वर्ष के ऑकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्कथित, पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- वित्त वर्ष 22-23 से प्रभावी कुछ अवल संपत्तियों के उपयोगी जीवन में परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान मूल्यहास राशि में कोई वृद्धि/कमी नहीं हुई है।
- टिप्पणी - 1 और 2 क्रमशः कोर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं; टिप्पणी 3 से 23 दिनांक 31.03.2023 तक तुलना-पत्र का हिस्सा है तथा टिप्पणी 24 से 37 उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा है। टिप्पणी - 38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
टिप्पणी 38: 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ
5. उचित मूल्य मापन
(क) वर्गवार वित्तीय साधन

	31-03-2023		31-03-2022	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-
निवेश ::	-	-	-	-
प्राथमिक शेयर	-	-	-	-
इक्विटी घटक	-	-	-	-
ऋण घटक	-	-	-	-
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्त्य	-	75.11	-	75.11
व्यापार प्राप्त्य*	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य	-	8.62	-	3.32
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	-	3.13	-	3.13
पट्टा देयताएँ	-	-	-	-
अन्य देयताएँ	-	-	-	-
		2,980.35		2,805.13

(ख) उचित मूल्य अनुकूल

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है।

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियाँ और देयताएँ का मापा	31-03-2023		31-03-2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-
निवेश :	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	0.00	-	0.00

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ का उचित मूल्य पर	31-03-2023		31-03-2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-
निवेश ::	-	-	-	-
प्राथमिक शेयर	-	-	-	-
इक्विटी घटक	-	-	-	-
ऋण घटक	-	-	-	-
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्त्य	-	75.11	-	75.11
व्यापार प्राप्त्य*	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य	-	8.62	-	3.32
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	-	3.13	-	3.13
पट्टा देयताएँ	-	-	-	-
अन्य देयताएँ	-	-	-	-
	-	2,980.35	-	2,805.13

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रमण में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है जो कि निरीक्षण बाजार के आंकड़ों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर रहता है। उचित मूल्य के लिए जरूरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रूप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हो तो उसे उपकरण स्तर 3 में शामिल किया जाएगा। यह निवेश, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देनदारियों के मामले में है।

ग उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

घ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का उपयोग करके उचित मूल्य माप
वर्तमान में किसी भी अप्रभावित उल्लेखनीय निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

5 परिचालित सागत पर माये गए वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्रक्रियों की वर्तमान राशि, अल्पवधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके अल्पवधि के कारण उचित मूल्यों के समान माना जाता है। कंपनी मानती है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के रूप में शामिल नहीं है। वित्त प्रबंधकों को छोड़कर कंपनी का प्रदर्शन तथा करार के लिये वांछित राशि सुरक्षा जमा के साथ समाहित कर दी महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय उपकरण बिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के

6. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियाँ

कंपनी के मुख्य वित्तीय दायित्वों में व्यापार एवं अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय दायित्वों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय कंपनी बाजार क्रेडिट, क्रेडिट जोखिम एवं नकदी जोखिम के संपर्क में हैं। कंपनी के वित्त प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वित्त प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सहयोग प्राप्त होता है, यह टिमिंग जोखिम के स्तरों की जानकारी देती है जिससे स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्त तथा परिचालित सागत पर माये गए वित्तीय परिसंपत्तियों	वित्त प्रभाव विवरण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट रीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण।
नगदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबंधित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं।
बाजार जोखिम-विदेशी विनिर्माण	विदेशी मुद्रा के योगात्मक लेनदेन, मूल्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के आईएसएन में नहीं दर्जित गया है।	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वित्त प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।
बाजार जोखिम-स्वायत्त दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और अन्य देयताएं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों, वित्त प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई, के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बोर्ड अतिरिक्त नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल जोखिम प्रबंधन हेतु विस्तृत रूप में विस्तृत प्रदान करता है।

क. जोखिम प्रबंधन.

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताई गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट और अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए और कंपनी के पिछले इतिहास,

ख. नगदी जोखिम

विवेकपूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबंधित क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदीकरण की स्थिति (जिसमें निम्नानुसार अविकसित उधार देने की सुविधाएं शामिल हैं) पर नियंत्रण रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित

ग. बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होती है जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय मुद्रा) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य व्यापार दर जोखिम

कंपनी का मुख्य व्यापार दर जोखिम व्यापार दर में बदलाव के साथ बैंक जमा से उत्पन्न होता है, कंपनी को नकदी प्रवाह व्यापार दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश डिपॉजिट बैंक जमा क्रेडिट रीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके कंपनी जोखिम का प्रबंधन करती है।

घ) पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजीगत संरचना निम्नानुसार है:

	(₹ लाख में)	
	31-03-2023	31-03-2022
हुविटी कंदा पूंजी	5.00	5.00
डीपीई अधि	-	-

7. कर्मचारी लाभ: श्रमचरता और आय (भारतीय लेखांकन मानक -19)

कर्मचारियों को एमसीएस से प्रतिनिधित्व किया जाता है, वेतन या भुगतान मूल कंपनी द्वारा किया जाता है और आवश्यक जमा एमएनएच को हस्तांतरित किया जाता है।

8. अन्य सूचना

(क) प्रावधान

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त की गई अवधि के लिए कर्मचारी लाभ को छोड़कर भारतीय लेखांकन मानक-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और मूल्यांकन बोनसित है, जो नीचे दिए गए हैं:

	(₹ लाख में)		
	01-04-2022 के अनुसार प्राथमिक शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान प्रतिस्खान/समाधोजन/भुगतान
प्रावधान			
नोट 3:- संपत्ति, सर्वेच और उपकरण:			
संपत्ति की हानि:			
नोट 4:- पूंजीगत धर्य में प्रमति			
सी.एस.आई.पी. से संबंधित:			
नोट 5:- अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां:			
प्रावधान और हानि:			
नोट 8:- ऋण:			
अन्व अधि:			
नोट 9:- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:			
अन्व जमा और प्राप्य			
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा			
अनुबंधी कंपनियों के साथ प्राप्त ऋण			
दाय और अन्य वित्तियां			
टिप्पणी 11:- अन्व प्राप्त परिसंपत्तियां:			
राजस्व के लिए अधिमा:			
संविधिक देय राशि व अधिमा भुगतान:			
कर्मचारियों को अन्व अधिमा और जमा			
टिप्पणी 13:- व्यापार प्राप्य:			
धराय और सोलिंग ऋणों का प्रावधान:			
नोट 21:- गैर-प्राप्त और प्राप्त प्रावधान:			
अनुवृत्त राशि			
वर्ष के दौरान संबंधित भुगतान			
अन्व कर्मचारी लाभ			
राष्ट्रीय वित्तसा वेतन अनुबंध 1 के प्रावधान प्रावधान			
कार्यकारी वेतन संबंधित कर प्रावधान			

वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23

(ख) प्रति शेयर आय

क्रमांक	विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए -	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए -
I)	इविडटी शेयर होल्डर्स के लिए कर पछात शुद्ध लाभ (रु.करोड़ में)	-2.78	-2.34
II)	इविडटी शेयरों की भारित औसत संख्या	50000	50000
III)	प्रति शेयर मुलभूत आय तथा मन्दिस्त आय (अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर)	(₹ 5.55)	(₹ 4.69)

(घ) पट्टा

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई संपत्ति	अनुबंध वेध अवधि	प्रति वर्ष पट्टे किराया	टिप्पणियाँ
---------	----------------	-----------------	------------------------	-----------------	-------------------------	------------

(ग) बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब किया जाता है।

(घ) सेखों में किए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले / नॉन-जुविंग / अपचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अधिकी, संदिग्ध ऋणों आदि के लिए खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

(ङ) धातु संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।

प्रबंधन के विचार से, अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्ति और गैर धातु नियेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान यमुली या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

(च) धातु देयताएँ

जहाँ वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है वहाँ अनुमानित देयता प्रदान की गई है।

(छ) अलग-अलग राजस्व सूचना :

नीचे दी गई तालिका भारतीय लेखांकन मानक 115, बाहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार बाहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से अलग-अलग राजस्व प्रस्तुत करती है:

अलग-अलग राजस्व जानकारी		(₹ लाख में)	
		31.03.2023 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए -	31.03.2022 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए -
यस्तु या सेवा के प्रकार			
- ऊर्जा		-	-
- अन्य		-	-
ऊर्जा और अन्य की विधि से कुल राजस्व		-	-
बाहक के प्रकार			
- ऊर्जा क्षेत्र		-	-
- गैर-ऊर्जा क्षेत्र		-	-
- अन्य या सेवाएँ		-	-
ऊर्जा और अन्य की विधि से कुल राजस्व		-	-
संयिदा के प्रकार			
- अन्य		-	-
ऊर्जा और अन्य की विधि से कुल राजस्व		-	-
यस्तु या सेवा का समय			
- एक समय में स्थानांतरित की गई सेवाएँ		-	-
- समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएँ		-	-
- एक समय में स्थानांतरित की गई सेवाएँ		-	-
- समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएँ		-	-
ऊर्जा और अन्य की विधि से कुल राजस्व		-	-

(ज) अनुपात

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए	मिन्नता
(क) धातु अनुपात: धातु अनुपात कंपनी की समग्र नगदी स्थिति को दर्शाता है। बैंकों द्वारा अपने बाहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के संबंध में निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। धातु अनुपात की गणना धातु देयदारियों को धातु परिसंपत्तियों से विभाजित करके की गई है।	0.0039	0.0023	72%
(ख) ऋण इविडटी अनुपात: ऋण-इविडटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इविडटी से करता है। इन दोनों नंबरों को कंपनी के तुलन-पत्र में पाया जा सकता है। ऋण-इविडटी अनुपात की गणना शेयरधारकों की इविडटी से विभाजित कुल ऋण के रूप में की गई है।	0.0000	0.0000	0%
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान व्याज और फिक्स्ड का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है।	0.0000	0.0000	0%
ऋण सेवा के लिए आय = कर पछात शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मुख्यदास और अन्य परिशोधन + व्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की विली पर हानि आदि। ऋण सेवा = व्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन का पुनर्भुगतान "कर पछात शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि)" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की यस्तुएं शामिल नहीं हैं।			
घ) इविडटी अनुपात पर प्रतिफल: यह कंपनी में निवेश किए गए इविडटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। अनुपात से पता चलता है कि कंपनी द्वारा इविडटी-धारकों के फंड की लाभप्रदता का उपयोग कैसे किया गया है। यह इविडटी-धारकों के प्रतिफल रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (कर पछात शुद्ध लाभ घरीयता सांभार, यदि कोई हो, को औसत शेयरधारक की इविडटी से विभाजित किया जाता है।)	0.0046	0.0039	18%

ड.) वस्तु-सूची आधारित अनुपात : इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई या अग्रिम के दौरान बिक्री की गई वस्तुओं की लागत और अवधि के दौरान आयोजित औसत सूची के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके सहजता से कंपनी अपनी वस्तु सूची का उपयोग या प्रबंधन करती है। वस्तु-सूची आधारित अनुपात की गणना औसत वस्तु-सूची से विभाजित करके बेची गई वस्तुओं की लागत या बिक्री के रूप में की जाती है।	0.0000	0.0000	0%
औसत वस्तु-सूची है (शुरुआती + अंतिम शेष / 2) जब वस्तु-सूची के प्रारम्भिक और अंतिम शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना सीओजीएस या बिक्री को वस्तु-सूची के अंतिम शेष से विभाजित करके की जा सकती है। (घ) व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्तियों का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते नेट क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री न्यूनता बिक्री रिटर्न शामिल है। व्यापार प्राप्तियों में विविध देनदार और प्राप्य बिल शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारम्भिक + अंतिम शेष / 2) जब व्यापार देनदारों के क्रेडिट बिक्री, प्रारम्भिक और अंतिम शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध ना हो तो अनुपात की गणना व्यापार प्राप्तियों के अंतिम शेष को कुल बिक्री से विभाजित करके की जा सकती है। (ग) व्यापार देय कारोबार अनुपात: यह इंगित करता है कि एक अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध लेनदारों को भुगतान हेतु नकदी की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए की जाती है। इसकी गणना औसत लेनदारों द्वारा शुद्ध क्रेडिट खरीद को विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय शुद्ध क्रेडिट में सकल ऋण खरीद से खरीद वापसी शामिल होती है जब व्यापार लेनदारों की क्रेडिट खरीद, प्रारम्भिक और अंतिम शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध ना हो तो अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार लेनदारों के अंतिम शेष से विभाजित करके की जाती है। (घ) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर पश्चात होगा। शुद्ध बिक्री की गणना बिक्री रिटर्न को घटाकर कुल बिक्री के रूप में की जाएगी। (ग) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर पश्चात होगा। शुद्ध बिक्री की गणना बिक्री रिटर्न को घटाकर कुल बिक्री के रूप में की जाएगी। (घ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए कंपनी के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए नियोजित पूंजी अधिक कुशलता से होगी। आरओसीई = व्याज और कर से पहले की आय / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = गृह निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता (ग) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7) : निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी को उसकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना के लिए किया जाता है। जितना अधिक अनुपात, उतना अधिक लाभ अर्जित किया गया।	0.0000	0.0000	0%
(i) गैर-सूचीबद्ध अनुबंधित निवेश पर आरओआई: अनुबंधित निवेश पर आरओआई में लाभान्श/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: आरओआई = प्राप्त लाभान्श/जेवी की इक्विटी में औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iii) निश्चित आय निवेश (बॉन्ड/डिविडेंड इत्यादि) पर आरओआई = व्याज आय/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iv) म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभान्श/पूँजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(v) जमाशायियों पर आरओआई (आईसीडी सहित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के साथ) = व्याज आय/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस के बेहेरा)
प्रबन्धक(वित्त)

ह/-
(जे कुमार)
उप महाप्रबंधक(वित्त)

ह/-
(एस के भूईया)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(के एस सिंह)
निदेशक
डीआईएन-09595085

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन-08651284

स्थान:भुवनेश्वर
दिनांक: 26.04.2023

अब तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
सुरु कोटनी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या: 322549ई
ह/-
(सीए सुरु वेंकटेश्वरलु)
साइनेदार
सदस्यता संख्या 089258